
अध्याय-2
राज्य का वित्त

अध्याय 2

राज्य का वित्त

यह अध्याय राज्य के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है और विगत वर्ष की तुलना में प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। यह 2019-20 से 2023-24 तक पाँच वर्ष की अवधि के दौरान, राज्य की ऋण संधारणीयता और मुख्य लोक लेखा लेन-देनों के समग्र रुझानों के बारे में राज्य के वित्त लेखों तथा जहाँ आवश्यकता थी, राज्य सरकार से जानकारी के आधार पर चर्चा करता है।

2.1 वर्ष 2022-23 के सापेक्ष राजकोषीय समुच्चयों में प्रमुख परिवर्तन

तालिका 2.1 विगत वर्ष की तुलना में, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य के प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में मुख्य परिवर्तनों का विहंगम दृश्य प्रस्तुत करती है। इन प्रत्येक संकेतकों का उत्तरोत्तर कंडिकाओं में विश्लेषण किया गया है।

तालिका 2.1: 2022-23 की तुलना में 2023-24 में प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियाँ	<ul style="list-style-type: none">✓ राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 9.57 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ राज्य की स्वयं कर प्राप्तियों में 11.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ स्वयं के गैर-कर प्राप्तियों में 4.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ संघीय करों एवं शुल्कों के राज्यांश में 18.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में 16.04 प्रतिशत की कमी हुई
राजस्व व्यय	<ul style="list-style-type: none">✓ राजस्व व्यय में 14.99 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 10.01 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 3.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 41.80 प्रतिशत की वृद्धि हुई
पूँजीगत प्राप्तियाँ	<ul style="list-style-type: none">✓ ऋण पूँजीगत प्राप्तियों में 9.79 प्रतिशत की कमी हुई✓ गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों में ₹ 7,230.29 करोड़ की वृद्धि हुई
पूँजीगत व्यय	<ul style="list-style-type: none">✓ पूँजीगत व्यय में 46.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 10.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 26.68 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 63.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई
ऋण एवं अग्रिम	<ul style="list-style-type: none">✓ ऋण एवं अग्रिम के संवितरण में 1.89 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ ऋण एवं अग्रिम की वसूली में ₹ 7,230.29 करोड़ की वृद्धि हुई
लोक ऋण	<ul style="list-style-type: none">✓ लोक ऋण प्राप्तियों में 9.79 प्रतिशत की कमी हुई✓ लोक ऋण की अदायगी में 5.13 प्रतिशत की कमी हुई
लोक लेखा	<ul style="list-style-type: none">✓ लोक लेखा प्राप्तियों में 52.85 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ लोक लेखा के संवितरण में 41.38 प्रतिशत की वृद्धि हुई
नकद शेष	<ul style="list-style-type: none">✓ वर्ष 2023-24 के दौरान नकद शेष में ₹ 4,052.93 करोड़ (60.65 प्रतिशत) की वृद्धि हुई

2.2 निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग


तालिका 2.2 वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य के निधियों के स्रोतों एवं अनुप्रयोग की तुलना 2022-23 से करती है। विवरण परिशिष्ट 2.1 में दिए गए हैं।

तालिका 2.2: 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग का विवरण
(₹ करोड़ में)

	ब्यौरा	2022-23	2023-24	वृद्धि (+)/कमी (-)
स्रोत	भारतीय रिजर्व बैंक में आरंभिक नकद शेष	149.37	91.07	-58.30
	राजस्व प्राप्तियाँ	80,245.22	87,928.50	7683.28
	ऋण एवं अग्रिम की वसूली	46.41	7,276.70	7,230.29
	लोक ऋण प्राप्तियाँ (निवल)	2,412.84	4,290.90	-549.71
	लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	2,145.59	4,290.90	2,145.31
	कुल	84,999.43	1,01,450.30	16,450.87
अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	66,681.63	76,676.42	9,994.79
	पूँजीगत व्यय	14,015.59	20,569.69	6,554.10
	ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	4,211.14	4,290.85	79.71
	भारतीय रिजर्व बैंक में अंतिम नकद शेष	91.07	-86.66	-177.73
कुल	84,999.43	1,01,450.30	16,450.87	

चार्ट 2.1 वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य की समेकित निधि में प्राप्तियाँ एवं व्यय की प्रतिशतता का विवरण दर्शाता है।

चार्ट 2.1: 2023-24 के दौरान निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग का विवरण



2.3 राज्य के संसाधन

यह कंडिका सम्पूर्ण प्राप्तियों के घटक को दर्शाता है। पूँजीगत एवं राजस्व प्राप्तियों के अलावे, लोक लेखा (इससे निर्मित संवितरण का निवल) में उपलब्ध निधियों का भी प्रयोग सरकार द्वारा घाटों को पूरा करने हेतु किया जाता है।

राज्य के संसाधनों का विवरण नीचे दिया गया है:

1. **राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल हैं।
2. **पूँजीगत प्राप्तियों (ऋण और गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ)** में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ यथा विनिवेश से आय, ऋण एवं अग्रिम से वसूली, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/ वाणिज्यिक बैंको से उधार) से ऋण प्राप्तियाँ और भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।


राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ दोनों ही राज्य के समेकित निधि का हिस्सा है।

3. **निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ:** कुछ विशेष लेन-देन यथा छोटी बचत, भविष्य निधि, रक्षित निधियाँ, जमा, उचंत, प्रेषण आदि से संबन्धित प्राप्तियाँ एवं भुगतान हैं जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होते हैं। इन्हें संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के तहत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है और राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं होता है। यहाँ, सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरण के बाद शेष राशि उपयोग हेतु सरकार के पास उपलब्ध होती है।

2.3.1 राज्य की प्राप्तियाँ

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के घटक चार्ट 2.2 में दर्शाए गए हैं।

चार्ट 2.2: 2023-24 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के घटक



2.3.2 राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ

यह कंडिका कुल राजस्व प्राप्तियों और इसके घटकों के प्रवृत्ति का विश्लेषण करता है। इसके बाद प्राप्तियों में प्रवृत्ति का विश्लेषण किया जाता है जो केन्द्र सरकार से प्राप्तियों तथा राज्य सरकार के स्वयं की प्राप्तियों में विभाजित होता है।

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ एवं वृद्धि

तालिका 2.3 पाँच वर्ष की अवधि में जी.एस.डी.पी. के संबंध में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों एवं वृद्धि के साथ-साथ राजस्व उत्प्लावकता को दर्शाती है। आगे, जी.एस.डी.पी. से संबंधित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ एवं राजस्व प्राप्तियों के संयोजन परिशिष्ट 2.2 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

मापदंड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.) (₹ करोड़ में)	58,417	56,150	69,722	80,245	87,929
रा.प्रा. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	4.03	-3.88	24.17	15.09	9.57
स्वयं कर राजस्व	16,771	16,880	21,290	25,118	28,005
स्वयं कर राजस्व की वृद्धि दर	13.69	0.65	26.12	17.98	11.49
गैर-कर राजस्व	8,750	7,564	10,031	12,830	13,425
गैर-कर राजस्व की वृद्धि दर	5.96	-13.55	32.61	27.91	4.64
स्वयं के राजस्व की वृद्धि दर (स्वयं के कर एवं गैर-कर राजस्व) (प्रतिशत)	10.91	-4.22	28.13	21.16	9.18
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में) (2011-12 श्रृंखला)	3,10,305	2,96,664	3,76,127	4,17,361	4,61,010
जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	1.51	-4.40	26.79	10.96	10.46
रा.प्रा./जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत)	18.83	18.93	18.54	19.23	19.07
उत्प्लावकता अनुपात¹					
जी.एस.डी.पी. के सापेक्ष राजस्व उत्प्लावकता	2.67	*	0.90	1.38	0.92
जी.एस.डी.पी. के सापेक्ष राज्य के स्वयं के राजस्व की उत्प्लावकता	7.22	*	1.05	1.93	0.88
स्वयं का कर राजस्व के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की उत्प्लावकता	0.29	#	0.93	0.84	0.83

जी.एस.डी.पी. आँकड़ों का स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

* चूँकि जी.एस.डी.पी. की वृद्धि नकारात्मक थी, अतः उत्प्लावकता परिकलित नहीं किया गया।

चूँकि राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि नकारात्मक थी, उत्प्लावकता परिकलित नहीं किया गया।


यद्यपि राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹ 80,245 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹ 87,929 करोड़ हो गईं, लेकिन उनकी वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15.09 प्रतिशत से घटकर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 9.57 प्रतिशत रह गई।

जैसा कि तालिका 2.3 से देखा जा सकता है, पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जीएसडीपी के सापेक्ष राज्य की राजस्व और स्वयं के राजस्व


¹ उत्प्लावकता अनुपात आधार परिवर्तनीयता में हुए परिवर्तन के संबंध में राजकोषीय परिवर्तन की जवाबदेही के लचीलापन या डिग्री को दर्शाता है।

की उत्प्लावकता में कमी राज्य की राजस्व प्राप्तियों और स्वयं के राजस्व की कम वृद्धि दर के कारण हुई, जबकि जीएसडीपी की वृद्धि दर स्थिर रही।

चार्ट 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ



चार्ट 2.4: राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृत्तियाँ



इसके अलावा, जैसा कि तालिका 2.3 में दिखाया गया है, 2023-24 के दौरान राज्य के स्वयं के राजस्व में 9.18 प्रतिशत की वृद्धि हुई। स्वयं के कर राजस्व में वृद्धि मुख्य रूप से एसजीएसटी के संग्रह में ₹ 974 करोड़ और बिक्री, व्यापार आदि पर कर में ₹ 678 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई, जबकि गैर-कर राजस्व में वृद्धि मुख्य रूप से अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों के तहत संग्रह में ₹ 561 करोड़, वानिकी और वन्यजीवन के तहत ₹ 178 करोड़ और ब्याज प्राप्तियों में ₹ 149 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।


राज्य के स्वयं के संसाधन

केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा वित्त आयोग के अनुशंसा द्वारा निर्धारित की जाती है, जबकि केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान का निर्धारण केन्द्रीय कर प्राप्तियों के संग्रहण एवं योजनाओं हेतु पूर्व अनुमानित केन्द्रीय सहायता की मात्रा से किया जाता है। अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आकलन उसके स्वयं कर एवं गैर-कर स्रोतों से स्वयं के राजस्व के संदर्भ में किया गया है।

क. स्वयं-कर राजस्व

राज्य के स्वयं कर राजस्व में राज्य जीएसटी, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, पेट्रोलियम और शराब पर बिक्री कर, स्टॉप शुल्क और पंजीकरण शुल्क, भू-राजस्व, विद्युत् कर और शुल्क आदि शामिल हैं। चार्ट 2.5 राज्य के कर राजस्व में वृद्धि को दर्शाता है और तालिका 2.4 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान स्वयं कर राजस्व के घटकों की प्रवृत्ति प्रस्तुत करती है।

चार्ट 2.5: वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान स्वयं कर राजस्व में वृद्धि



तालिका 2.4: वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान राज्य के स्वयं कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	स्पाकलाइन
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3,996	4,301	5,213	6,271	6,949	
एस. जी. एस. टी.	8,418	7,931	9,557	11,374	12,348	
राज्य उत्पाद	2,009	1,821	1,807	2,057	2,376	
वाहन कर	1,129	976	1,263	1,574	1,756	
मूद्रांक एवं निबंधन शुल्क	560	708	987	1,108	1,468	
भू-राजस्व	338	873	1,621	1,557	1,666	
विद्युत् पर कर एवं शुल्क	236	195	792	1,132	1,395	
अन्य	85	75	50	45	47	
कुल	16,771	16,880	21,290	25,118	28,005	

स्रोत: वित्त लेखे

2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान स्वयं कर राजस्व की वृद्धि दर में एक से 26 प्रतिशत के बीच व्यापक उतार-चढ़ाव देखा गया। पिछले वर्ष की तुलना में स्वयं कर राजस्व में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण बिक्री, व्यापार आदि पर कर (11 प्रतिशत) और एसजीएसटी (9 प्रतिशत) का अधिक संग्रह था।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, एस.जी.एस.टी. का वास्तविक संग्रह (₹ 12,348 करोड़) बजट अनुमान (₹ 14,000 करोड़) से कम था।

जीएसटी प्राप्तियों का लेखापरीक्षा

झारखण्ड एक मॉडल-II राज्य है और जनवरी 2021 से, आवश्यकता पड़ने पर वाणिज्यिक कर मंडल के दायरे में लेखापरीक्षा दल को बैक-एंड सिस्टम तक उपयोगकर्ता-आईडी आधारित पहुंच प्रदान की गई है। सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग से लेखापरीक्षा के लिए समर्पित यूजर- आईडी आधारित पहुंच प्रदान करने का अनुरोध किया गया था (सितम्बर 2024)।

राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.)

जी.एस.टी. (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के अनुसार, वस्तु एवं सेवा कर लागू किए जाने के कारण राजस्व में कमी को राज्यों को आधार वर्ष (2015-16) से 14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि मानते हुए जून 2022 में समाप्त होने वाली पाँच वर्षों की अवधि के लिए मुआवजा दिया जाएगा। केन्द्र वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर एकीकृत जी.एस.टी. (आई.जी.एस.टी.) वसूलती है तथा उस राज्य को कर का राज्यांश प्रदान करती है, जिस राज्य में वस्तुओं या सेवाओं की खपत होती है।

2023-24 के दौरान, झारखण्ड को अप्रैल 2021 से जून 2022 की अवधि से संबंधित जी.एस.टी. के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न राजस्व में कमी के मुआवजे के लिए ₹ 165.63 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ।

राजस्व का बकाया तथा अनुमान में बकाया का विश्लेषण

राजस्व का बकाया सरकार को मिलने वाले राजस्व की देरी से प्राप्ति को दर्शाता है। इसी तरह, मूल्यांकन का बकाया संभावित राजस्व को दर्शाता है जो विलंबित मूल्यांकन के कारण अवरुद्ध हो जाता है। दोनों ही राज्य को संभावित राजस्व प्राप्तियों से वंचित करते हैं और अंततः राजस्व घाटे को प्रभावित करते हैं।

31 मार्च 2024 तक राजस्व संग्रह में बकाया राशि ₹ 84.72 करोड़ (उत्पाद शुल्क एवं निषेध विभाग) थी, जिसमें से ₹ 38.91 करोड़ पांच साल से अधिक समय से बकाया थी। विभाग में कुल बकाया राशि में से ₹ 7.72 करोड़ न्यायालयों और अन्य अपीलीय प्राधिकरणों में रुके हुए थे। जबकि यह सूचित किया गया कि भूमि राजस्व विभाग में कोई बकाया नहीं था, दिसंबर 2024 तक अन्य विभागों के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

ख. गैर-कर राजस्व

गैर-कर राजस्व (एन.टी.आर.) में ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश एवं लाभ, खनन प्राप्तियाँ, विभागीय प्राप्तियाँ इत्यादि शामिल होती हैं।

2023-24 के दौरान एकत्रित गैर-कर राजस्व ₹ 13,425 करोड़ था और यह वर्ष के लिए ₹ 17,259 करोड़ के बजट अनुमान से काफी कम था। 2019-20 से 2023-24 के दौरान एकत्रित घटक-वार गैर-कर राजस्व तालिका 2.5 में दिखाया गया है।

तालिका 2.5: वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान संग्रहित गैर-कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	स्पार्कलाइन
ब्याज प्राप्तियाँ	310	81	96	282	431	
लाभांश एवं लाभ	0	15	0	0	0	
अन्य गैर-कर प्राप्तियाँ	8,440	7,468	9,935	12,548	12,994	
(क) अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	5,461	5,012	7,535	10,036	10,597	
(ख) शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति	469	166	128	6	5	
(ग) शहरी विकास	529	80	263	102	138	
(घ) वृहद सिंचाई	424	32	79	71	125	
(ङ) जन आपूर्ति	420	137	132	36	113	
(च) विविध सामान्य सेवाएं	140	171	483	1,172	413	
(छ) वन एवं वन्यजीव	18	328	656	638	816	
(ज) अन्य	979	1,542	659	487	787	
कुल	8,750	7,564	10,031	12,830	13,425	


स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों में गैर-कर राजस्व की हिस्सेदारी 13.47 से 15.99 प्रतिशत के बीच थी। यह 2022-23 में 15.99 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 15.27 प्रतिशत हो गया। गैर-कर राजस्व का मुख्य स्रोत अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग था जो पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में ₹ 561 करोड़ से बढ़ा। 2023-24 के दौरान विविध सामान्य सेवाओं में भी उल्लेखनीय गिरावट (759 करोड़ से) देखी गई।

ग. केन्द्र सरकार से अंतरण

2023-24 के दौरान केंद्रीय कर हस्तांतरण और सहायता अनुदान के रूप में केंद्र सरकार से राज्य को हस्तांतरण राज्य के कुल गैर-ऋण राजस्व का 50 प्रतिशत से अधिक था। स्वयं राजस्व के संग्रह में गिरावट के कारण 2017-18 के दौरान केंद्र सरकार से गैर-ऋण प्राप्तियों के हस्तांतरण का अनुपात उच्चतम (62 प्रतिशत) था। 2023-24 के दौरान यह अनुपात 48.84 प्रतिशत था।

चार्ट 2.6: केन्द्र सरकार से राज्य को अंतरण



जैसा कि चार्ट 2.6 में दर्शाया गया है, वर्ष 2019-20 और 2020-21 को छोड़कर केंद्र सरकार से राज्य को करों का हस्तांतरण 2014-15 में ₹ 9,487 करोड़ से लगातार बढ़कर 2023-24 में ₹ 37,352 करोड़ हो गया।

केन्द्रीय कर अंतरण

तालिका 2.6 में पिछले पाँच वर्षों के केन्द्रीय कर अंतरण (सी.टी.टी.) का घटक-वार प्रवृत्ति को दर्शाया गया है।

तालिका 2.6: केन्द्रीय कर अंतरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सी.जी.एस.टी.)	5,844	5,863	8,367	8,874	11,336
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आई.जी.एस.टी.)	0	0	0	0	0
निगम कर	7,021	5,944	7,139	10,529	11,212
निगम कर के अलावा आयकर	5,502	6,093	8,693	10,279	12,948
सीमा शुल्क	1,305	1,050	2,060	1,235	1,309
संघ उत्पाद शुल्क	908	663	1,089	387	495
सेवा कर	0	85	356	49	7
अन्य कर ²	13	14	31	51	45
केन्द्रीय कर अंतरण	20,593	19,712	27,735	31,404	37,352
विगत वर्ष से वृद्धि की प्रतिशतता	-14	-4	41	13	19
राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष केन्द्रीय कर अंतरण की प्रतिशतता	35	35	40	39	42

² संपत्ति पर कर, आय और व्यय पर अन्य कर, वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क शामिल हैं।

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 2023-24 में केंद्रीय कर अंतरण में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 5,948 करोड़ की वृद्धि हुई थी। इसका मुख्य कारण सी.जी.एस.टी. तथा निगम कर के अलावा अन्य आय पर करों के हस्तांतरण में वृद्धि थी।

भारत सरकार से सहायता अनुदान

भारत सरकार से सहायता अनुदान की वृद्धि दर वर्ष 2019-20 के दौरान उच्चतम (33.21 प्रतिशत) थी जो 2023-24 में नकारात्मक 16.04 प्रतिशत हो गई। पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 के दौरान कमी मुख्य रूप से जीएसटी से होने वाले राजस्व नुकसान के लिए मुआवजे की कम प्राप्तियों (₹ 1,899 करोड़ से) के कारण हुई। भारत सरकार से सहायता अनुदान का विवरण तालिका 2.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.7: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान (सी.एस.एस.)	7,339.05	6,838.85	6,577.16	6,871.79	6,266.71
वित्त आयोग अनुदान	3,154.60	2,990.50	2,198.30	1,826.59	2,378.28
ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	2,236.71	1,689.00	699.30	1,271.00	1,300.00
शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	586.39	733.50	600.20	441.94	166.00
अन्य (एस.डी.आर.एफ., एस.डी.एम.एफ., स्वास्थ्य अनुदान सहित)	331.50	568.00	898.80	113.65	912.28
राज्यों/विधानमण्डल वाले केन्द्र शासित प्रदेशों को अन्य अंतरण/अनुदान	1,809.01	2,164.06	1,891.40	2,195.16	501.27
राज्य सड़कों के लिए अनुदान	137.67	78.77	40.79	81.56	192.64
जीएसटी के क्रियान्वयन से होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई	1,531.82	1,958.32	1,525.63	2,064.64	165.63
जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	111.66	102.78	122.64	48.96	143
अन्य	27.86	24.19	202.34	0.00	0.00
कुल	12,302.66	11,993.41	10,666.86	10,893.54	9,146.26
पिछले वर्ष से वृद्धि की प्रतिशतता	33.21	-2.51	-11.06	2.13	-16.04
राजस्व प्राप्तियों से सहायता अनुदान की प्रतिशतता	21.06	21.36	15.30	13.58	10.40

स्रोत: वित्त लेखे

2019-20 से 2023-24 के दौरान भारत सरकार से राज्य को सहायता अनुदान ₹ 9,146.26 करोड़ से ₹ 12,302.66 करोड़ के बीच रहा और इस अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों में उनका प्रतिशत 10.40 से 21.36 प्रतिशत के बीच रहा। इस अवधि के दौरान सहायता अनुदान की वृद्धि (-) 16.04 प्रतिशत और 33.21 प्रतिशत के बीच दोलित रही।

एकल नोडल एजेंसी (एस.एन.ए.)

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली ने कार्यालय जापन संख्या 1(13) पी.एफ.एम.एस./एफ.सी.डी./2020 दिनांक 23 मार्च 2021 के माध्यम से प्रावधान किया कि प्रत्येक राज्य सरकार को प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना (सी.एस.एस.) को लागू करने के लिए एकल नोडल एजेंसी (एस.एन.ए.) नामित करना आवश्यक है। एकल नोडल एजेंसी राज्य सरकार द्वारा व्यवसाय संचालित करने के लिए अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में राज्य स्तर पर प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना के लिए एकल नोडल खाता खोलेगी। आगे, नई प्रक्रिया के अनुसार यह सुनिश्चित करना संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी कार्यान्वयन एजेंसियों (आई.ए.) द्वारा अव्ययित राशि एकल नोडल एजेंसी के एकल नोडल खाते में वापस कर दी जाए।

राज्य सरकार को अपने ट्रेजरी खातों में 2023-24 के दौरान केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में ₹ 6,439.24 करोड़ प्राप्त हुए। राज्य सरकार ने ट्रेजरी खातों में प्राप्त केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹ 6,545.59 करोड़³ और राज्य के हिस्से के रूप में ₹ 8,477.76 करोड़ एसएनए को हस्तांतरित कर दिए। इस संबंध में कोई और विवरण/दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराया गया। सी.जी.ए./एस.एन.ए. के पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक एस.एन.ए. के बैंक खातों में ₹ 6,276.70 करोड़ अव्ययित पड़े थे।

पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान (15^{वें} एफ.सी.)

15^{वें} वित्त आयोग की सिफारिश पर, आधारभूत और सामान्य निष्पादन अनुदान के रूप में शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों हेतु राज्य सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों का विवरण तालिका 2.8 में दर्शाया गया है।

³ पिछले वर्ष का शेष सम्मिलित करते हुए

तालिका 2.8: अनुशंसित राशि, वास्तविक निर्गमन और सहायता अनुदान का अंतरण

(₹ करोड़ में)

अंतरण	15 ^{वें} वित्त आयोग की अनुशंसा	भारत सरकार द्वारा निर्गमन				राज्य सरकार द्वारा निर्गमन (केन्द्रीय निर्गमन सहित)			
		2021-22	2022-23	2023-24	कुल	2021-22	2022-23	2023-24	कुल
स्थानीय निकाय									
(i) पी.आर.आई. को अनुदान	6,585.00	699.32	1,271.00	1,300.00	3,270.30	772.76	1,462.57	2,278.59	4,513.92
(क) सामान्य आधारभूत अनुदान	2,634.00	699.30	883.10	261.40	1,843.80	772.76	1,462.57	2,278.59	4,513.92
(ख) सामान्य निष्पादन अनुदान	3,951.00	0.00	387.90	1038.60	1,426.50				
(ii) यू.एल.बी. को अनुदान	3,367.00	600.20	441.94	166.00	1,208.14	1,042.33	1,266.41	940.51	3,249.25
(क) सामान्य आधारभूत अनुदान	819.60	0.00	116.40	0.00	116.40	1,042.33	1,266.41	940.51	3,249.25
(ख) सामान्य निष्पादन अनुदान	2,547.40	600.20	325.54	166.00	1,091.74				
स्वास्थ्य अनुदान	2,370.00	444.40	0.05	435.48	879.93	438.49	4.41	425.46	868.36
स्थानीय निकायों के लिए कुल	12,322.00	1,743.90	1,712.99	1,901.48	5,358.37	2,253.58	2,733.39	3,644.56	8,631.53
राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि*	4,182.00	454.40	0.00	476.80	931.20	605.60	0.00	1012.92	1618.52
कुल योग	16,504.00	2,198.30	1,712.99	2,378.28	6,289.57	2,859.18	2,733.39	4,657.48	10,250.05

*कुल अनुदान का 25 प्रतिशत राज्यांश सहित

स्रोत: पंद्रहवें वित्त आयोग प्रतिवेदन तथा वित्त लेखे

केंद्र सरकार ने 2021-22 और 2023-24 के दौरान यू.एल.बी. और पी.आर.आई. के लिए 2021-26 की अवधि के लिए 15^{वें} वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित ₹ 12,322.00 करोड़ के मुकाबले ₹ 5,358.37 करोड़ जारी किए। आगे, वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य द्वारा यू.एल.बी. और पी.आर.आई. को जारी कुल ₹ 3,644.56 करोड़ में केंद्र सरकार से ₹ 1,901.48 करोड़ प्राप्त हुए।

2.3.3 पूँजीगत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ यथा विनिवेश से आय, ऋण एवं अग्रिम से वसूली, आंतरिक स्रोत से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंको से उधार) और भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल है। वर्ष 2019-24 के दौरान पूँजीगत प्राप्तियों का विवरण तालिका 2.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.9: पूँजीगत प्राप्तियों की संरचना एवं वृद्धि की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
पूँजीगत प्राप्तियाँ	9,642.31	13,595.36	11,131.62	9,188.71	15,523.83
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	49.19	48.78	1,291.73	46.41	7276.70
निवल लोक ऋण प्राप्तियाँ	5,361.72	10,801.76	5,592.79	2,412.84	1,863.12
आंतरिक ऋण	5,109.14	8,411.43	2,581.42	(-957.88)	(-2,921.61)
वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.17	64.63	-69.31	(-137.11)	(-205.01)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	252.44	2,390.33*	3,011.37*	3,370.72 [#]	4,784.73 [#]
वृद्धि दर (प्रतिशत में)	137.66	846.89	25.98	11.93	41.95
ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	22.93	41.21	(-) 27.36	(-)7.09	(-)9.79
गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	4.66	(-)0.83	2,548.07	(-)96.41	15,579.16
जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	1.51	(-)4.40	26.79	10.96	10.46
पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	22.83	41.00	(-)18.12	(-)17.45	68.94

स्रोत: वित्त लेखे एवं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट

* जीएसटी क्षतिपूर्ति के बदले में भारत सरकार से बैंक-टू-बैंक ऋण को शामिल करते हुए (वर्ष 2020-21 में ₹ 1,689 करोड़ एवं वर्ष 2021-22 में ₹ 2,484.41 करोड़)

[#] इसमें 2022-23 और 2023-24 में पूँजीगत व्यय के लिए प्राप्त क्रमशः ₹ 2,964.32 करोड़ और ₹ 4,580.61 करोड़ की विशेष सहायता शामिल है।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में दर्शाया गया है, पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर में 2019-20 से 2023-24 के दौरान (-)18.12 प्रतिशत और 68.94 प्रतिशत के बीच व्यापक उतार-चढ़ाव देखा गया। हालाँकि, 2023-24 के दौरान, राज्य की पूँजीगत प्राप्तियां पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ गईं, जिसका मुख्य कारण पूँजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता के रूप में भारत सरकार के ऋणों की अधिक प्राप्तियाँ (₹ 1,616.29 करोड़ से) थीं।

ऋण और अग्रिमों की उल्लेखनीय वसूली के कारण 2023-24 के दौरान गैर-ऋण पूँजी प्राप्तियों की राशि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो 2022-23 में ₹ 46.41 करोड़ से बढ़कर ₹ 7,276.70 करोड़ हो गई। वसूली में मुख्य रूप से जेबीवीएनएल द्वारा ₹ 7,230.80 करोड़ (वार्षिक विकास कार्यक्रम और पीएसयू से बिजली खरीद के बकाये के भुगतान से ₹ 1,094.44 करोड़ और पिछले वर्षों में सरकार द्वारा प्रदान की गई उदय योजना से ₹ 6,136.36 करोड़) की अप्रयुक्त शेष राशि का अभ्यर्पण शामिल था।

केंद्रीय ऋणों को बड़े खाते में डालना

13^{वें} वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने 31 मार्च 2010 तक केंद्रीय योजना और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए विभिन्न मंत्रालयों (स्वयं वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए ऋणों को छोड़कर) द्वारा राज्य सरकार को दिए गए ऋणों को माफ कर दिया था (फरवरी 2012)। वित्त मंत्रालय ने राज्य सरकारों को आदेश की प्रभावी तिथि (31 मार्च 2010) और इसके कार्यान्वयन से किए गए मूलधन और ब्याज के अतिरिक्त अदायगी को वित्त मंत्रालय को भविष्य की अदायगी के विरुद्ध समायोजित करने की अनुमति दी थी। झारखण्ड सरकार ने ₹ 5.73 करोड़ (मूलधन: ₹ 2.50 करोड़ और ब्याज: ₹ 3.23 करोड़) का अतिरिक्त अदायगी किया था, जिसमें से वित्त मंत्रालय ने अब तक ₹ 3.51 करोड़ का समायोजन किया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 के दौरान कोई समायोजन नहीं किया गया।

2.3.4 संसाधनों के संग्रहण में राज्य का प्रदर्शन

संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आकलन उसके अपने संसाधनों के संदर्भ में किया जाता है, जिसमें स्वयं के कर और गैर-कर स्रोत शामिल हैं। बजट/एम.टी.एफ.पी. में किए गए अनुमानों और 2023-24 के लिए 15^{वें} वित्त आयोग के अनुमानों के संबंध में संसाधनों का संग्रहण तालिका 2.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.10: 2023-24 हेतु कर एवं गैर-कर अनुमान के सापेक्ष प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	एम.टी.एफ.पी. अनुमान	15 ^{वें} वित्त आयोग अनुमान	वास्तविक	एम.टी.एफ.पी. अनुमान के सापेक्ष वास्तविक विचलन की प्रतिशतता
स्वयं-कर राजस्व	30,860.00	18,235.00	28,004.76	-9.25
गैर-कर राजस्व	17,259.44	10,667.00	13,425.14	-22.22

जैसा कि तालिका 2.10 में दर्शाया गया है, स्वयं कर और गैर-कर राजस्व का वास्तविक संग्रह 15^{वें} वित्त आयोग के अनुमानों से अधिक था, लेकिन वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान एम.टी.एफ.पी. अनुमानों से कम था।

2.4 संसाधनों के अनुप्रयोग

राज्य सरकार पर राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के ढांचे के भीतर व्यय करने की जिम्मेदारी निहित है, साथ ही यह सुनिश्चित करना भी है कि राज्य की चल रही राजकोषीय सुधार और समेकन प्रक्रिया, पूँजीगत बुनियादी ढांचे और सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए किए जाने वाले व्यय की कीमत पर न हो।

व्यय की संरचना एवं वृद्धि

तालिका 2.11, चार्ट 2.7 तथा परिशिष्ट 2.2 विगत पाँच वर्षों (2019-20 से 2023-24) में कुल व्यय तथा उसकी संरचना की प्रवृत्तियाँ दर्शाते हैं।


तालिका 2.11: कुल व्यय एवं इसकी संरचना

(₹ करोड़ में)

ब्यौरा	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कुल व्यय (टी.ई.)	66,501	71,110	73,618	84,908	1,01,537
राजस्व व्यय (आर.ई.)	56,457	59,264	62,778	66,681	76,676
पूँजीगत व्यय (सी.ई.)	9,879	8,466	9,377	14,016	20,570
ऋण एवं अग्रिम (एल. एंड ए.)	165	3,380	1,463	4,211	4,291
जी.एस.डी.पी. के प्रतिशतता के रूप में					
कुल व्यय/ जी.एस.डी.पी.	21.40	24.00	19.57	20.34	22.02
राजस्व व्यय/ जी.एस.डी.पी.	18.19	19.98	16.69	15.98	16.63
पूँजीगत व्यय/ जी.एस.डी.पी.	3.18	2.85	2.49	3.36	4.46
ऋण एवं अग्रिम/ जी.एस.डी.पी.	0.05	1.14	0.39	1.01	0.93


जैसा कि तालिका 2.11 में दर्शाया गया है, 2023-24 के दौरान जी.एस.डी.पी. के लिए राजस्व व्यय और पूँजीगत व्यय का अनुपात 2022-23 के दौरान के अनुपात की तुलना में बढ़ा है। 2023-24 के दौरान जी.एस.डी.पी. के लिए कुल व्यय तथा ऋण और अग्रिम अनुपात पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ है। पूँजीगत व्यय में ₹ 6,554 करोड़ की वृद्धि के कारण पूँजीगत व्यय से जी.एस.डी.पी. अनुपात 2022-23 में 3.36 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 4.46 प्रतिशत हो गया। राज्य के कुल बजट (₹ 1,41,499 करोड़) के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 14.54 प्रतिशत रहा।

चार्ट 2.7: कुल व्यय - गतिविधियों के अनुसार व्यय



चार्ट 2.7 से यह देखा जा सकता है कि सामाजिक सेवाओं पर व्यय का हिस्सा 2019-20 से 2022-23 के दौरान लगातार बढ़ा, लेकिन 2023-24 के दौरान घट गया। आर्थिक सेवाओं पर व्यय का हिस्सा 2023-24 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में छह प्रतिशत अंक बढ़ा जबकि सामान्य सेवाओं का हिस्सा 2022-23 और 2023-24 में पिछले वर्षों की तुलना में दो प्रतिशत अंक कम हुआ।

चार्ट 2.8: कुल व्यय - इसके घटकों के हिस्सेदारी का रुझान



जैसा कि चार्ट 2.8 में दर्शाया गया है, पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 के दौरान पूँजीगत व्यय की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

2.4.1 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय, सेवाओं के मौजूदा स्तर को बनाए रखने और पिछले दायित्वों के भुगतान के लिए किया जाता है। इस प्रकार, इससे राज्य के बुनियादी ढांचे और सेवा नेटवर्क में कोई वृद्धि नहीं होती है।

समग्र राजस्व व्यय, इसकी वृद्धि दर तथा कुल व्यय बनाम जी.एस.डी.पी. एवं राजस्व प्राप्तियों के अनुपात को तालिका 2.12 में दर्शाया गया है।

यह देखा गया कि जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय (आरई) 2022-23 में 15.98 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 16.63 प्रतिशत हो गया।

तालिका 2.12: राजस्व व्यय – आधारभूत मापदंड


(₹ करोड़ में)

ब्यौरा	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कुल व्यय (टी.ई.)	66,501	71,110	73,618	84,908	1,01,537
राजस्व व्यय (आर.ई.)	56,457	59,264	62,778	66,681	76,676
आर.ई. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.51	4.97	5.93	6.22	14.99
टी.ई. के प्रतिशतता के रूप में कुल व्यय	84.90	83.34	85.28	78.53	75.52
आर.ई./ जी.एस.डी.पी.(प्रतिशत)	18.19	19.98	16.69	15.98	16.63
आर.आर. के प्रतिशतता के रूप में आर.ई.	96.64	105.55	90.04	83.10	87.20

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2023-24 के दौरान कुल राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में विभिन्न सेवाओं पर राजस्व व्यय चार्ट 2.9 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.9: राजस्व व्यय का क्षेत्रवार-विवरण



2023-24 के दौरान ₹ 76,676.42 करोड़ के कुल राजस्व व्यय में से, ₹ 36,536.69 करोड़ स्थापना पर और ₹ 40,139.73 करोड़ राज्य और केंद्रीय योजनाओं पर व्यय किए गए। इसके अलावा, राजस्व व्यय का बड़ा हिस्सा (37 प्रतिशत) सामाजिक सेवाओं के बाद आर्थिक सेवाओं (29 प्रतिशत) पर व्यय किया गया।

राजस्व व्यय की वृद्धि 2022-23 में उल्लेखनीय रूप से 6.22 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 14.99 प्रतिशत हो गई, हालांकि कुल व्यय से इसका प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में तीन प्रतिशत कम रहा। 2023-24 के दौरान बजट अनुमान (₹ 84,676 करोड़) की तुलना में ₹ 8,000 करोड़ राजस्व व्यय कम रहा।

राजस्व व्यय में मुख्य बदलाव

वर्तमान एवं विगत वर्ष के दौरान राज्य के राजस्व व्यय के संबंध में विभिन्न लेखा शीर्षों के अधीन उल्लेखनीय विचलन तालिका 2.13 में वर्णित है।

तालिका 2.13: 2022-23 की तुलना में 2023-24 के दौरान
प्रमुख घटकों पर राजस्व व्यय में विचलन

लेखे के मुख्य शीर्ष	2022-23	2023-24	वृद्धि(+)/ कमी(-)
2049- ब्याज भुगतान	6,238.29	6,838.95	600.66
2055- पुलिस	5,932.65	6,154.49	221.84
2071- पेंशन	7,803.17	9,014.47	1,211.30
2202- सामान्य शिक्षा	11,166.76	11,410.92	244.16
2217- नगर विकास	1,945.13	1,231.51	-713.62
2235 - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	5,486.89	5,481.85	-5.04
2236- पोषण	357.67	685.28	327.61
2401- फसल कृषि-कर्म	909.17	753.53	-155.64
2505- ग्रामीण रोजगार	2,881.84	1,901.73	-980.11
2801- विद्युत	3,239.96	8,995.50	5,755.54
2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2,256.42	3,660.14	1,403.72
3451- सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	492.66	71.39	-421.27

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा जा सकता है, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र के घटकों, जैसे कि फसल कृषि-कर्म, नगर विकास, ग्रामीण रोजगार और सचिवालय आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 2023-24 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ है।

फसल कृषि-कर्म पर राजस्व व्यय में कमी मुख्य रूप से खाद्य फसलों पर कम व्यय के कारण हुई। नगर विकास पर कम व्यय मुख्य रूप से स्थानीय निकाय निगमों, नगर विकास प्राधिकरणों आदि, नगर पालिकाओं/नगर निगमों और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना को कम सहायता के कारण हुआ। ग्रामीण रोजगार पर कम व्यय मुख्य रूप से जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना पर कम व्यय के कारण हुआ।

विद्युत पर अधिक व्यय मुख्य रूप से जेबीवीएनएल को अधिक सहायता के कारण हुआ।

2.4.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व खाते पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन और मजदूरी पर व्यय और पेंशन शामिल हैं। सरकारी संसाधनों पर इसका पहला भार होता है। प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति सरकार को विकास व्यय के लिए कम लचीलापन देती है।

उपर्युक्त के अलावा, अनम्य व्यय की कुछ मदें हैं, जिन्हें सामान्यतः बदला या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है या पूँजीगत व्यय आदि जैसे परिवर्तनशील लेन-देन के विपरीत वार्षिक आधार पर वैधानिक रूप से आवश्यक हैं। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित मदों को अनम्य व्यय माना जा सकता है:

- स्थानीय निकायों को हस्तांतरण - वेतन और भत्ते के लिए स्थानीय निकायों को वैधानिक हस्तांतरण (पूँजीगत व्यय के लिए हस्तांतरण)
- आरक्षित निधि में योगदान की वैधानिक आवश्यकताएँ - समेकित हास निधि (सी.एस.एफ.), गारंटी मोचन निधि (जी.आर.एफ.), राज्य आपदा शमन निधि/राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एस.डी.एम.एफ./एस.डी.आर.एफ.) आदि में योगदान
- आकस्मिक निधि की प्रतिपूर्ति - वर्ष के अंदर प्रतिपूर्ति राशि
- उपकर को रक्षित निधि/अन्य निकायों में स्थानांतरित करना, जो वैधानिक रूप से आवश्यक हैं
- प्राप्त केंद्रीय निधि के विरुद्ध सी.एस.एस. हिस्से का शेयर योगदान - राज्य के हिस्से की राशि एस.एन.ए. को हस्तांतरित की जाएगी/ राज्य द्वारा व्यय की जाएगी
- ब्याज वाली निधियों के शेष पर ब्याज का भुगतान जैसे कि उन्हें निवेश किया जा सकता था और सार्वजनिक ऋण पर ब्याज का भुगतान भारित व्यय के रूप में - ब्याज भुगतान।

प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय तथा उसके घटकों का प्रवृत्ति विश्लेषण तालिका 2.14 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.14: प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
वेतन एवं मजदूरी	12,782	12,837	13,929	14,852	15,634
पेंशन पर व्यय	6,005	6,797	7,614	7,803	9,014
ब्याज भुगतान	5,308	5,790	6,286	6,238	6,839
कुल	24,095	25,424	27,829	28,893	31,487
राजस्व प्राप्तियों (आर.आर.) के प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	21.88	22.86	19.98	18.51	17.78

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
पेंशन पर व्यय	10.28	12.11	10.92	9.72	10.25
ब्याज भुगतान	9.09	10.31	9.02	7.77	7.78
कुल	41.25	45.28	39.91	36.01	35.81
अनम्य व्यय के घटक					
स्थानीय निकायों को वैधानिक हस्तांतरण	उपलब्ध नहीं				
आरक्षित निधि में योगदान	55	244	151	0	158
आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति	0	0	0	0	0
आरक्षित निधि/अन्य निकायों को उपकर का स्थानांतरण	0	0	0	154	154
प्राप्त केंद्रीय निधियों के विरुद्ध सी.एस.एस. के हिस्से का योगदान	6,957	7,972	7,278	7,421	8,652
ब्याज वाली निधियों की शेष राशि पर ब्याज का भुगतान	241	478	480	425	1,107
कुल	7,254	8,694	7,910	8,000	10,071
राजस्व व्यय के प्रतिशतता के रूप में अनम्य व्यय	13	15	13	12	13
राजस्व व्यय के प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	22.64	21.66	22.19	22.27	20.39
पेंशन पर व्यय	10.64	11.47	12.13	11.70	11.76
ब्याज भुगतान	9.40	9.77	10.01	9.35	8.92
कुल	42.68	42.90	44.33	43.33	41.06

2022-23 में 43.33 प्रतिशत की तुलना में, 2023-24 के दौरान, वेतन और मजदूरी, ब्याज भुगतान और पेंशन कुल मिलाकर राजस्व व्यय का 41.06 प्रतिशत था, जबकि 2022-23 में राजस्व प्राप्तियों में इसका हिस्सा 36.01 प्रतिशत की तुलना में 2023-24 में कम होकर 35.81 प्रतिशत तक हो गया।

ब्याज अदायगी

2023-24 में ब्याज भुगतान की वृद्धि दर 2022-23 में (-)0.76 प्रतिशत के मुकाबले 9.63 प्रतिशत रही। राजस्व प्राप्तियों के लिए ब्याज भुगतान का प्रतिशत 2022-23 (7.77 प्रतिशत) की तुलना में 2023-24 (7.78 प्रतिशत) के दौरान लगभग समान रहा।

पेंशन भुगतान

झारखण्ड सरकार ने 2023-24 के दौरान अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के रूप में ₹ 9,014.47 करोड़ (नियोक्ता के योगदान के रूप में एन.एस.डी.एल. को हस्तांतरित ₹ 7.66 करोड़ सहित) का भुगतान किया। नियोक्ता के योगदान (₹ 9,014.47 करोड़) सहित कुल पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ क्रमशः राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय का क्रमशः 10.25 प्रतिशत और 11.76 प्रतिशत था। वर्ष 2023-24 के दौरान सरकार द्वारा भुगतान किए गए कुल वेतन एवं मजदूरी की तुलना में कुल पेंशन भुगतान का प्रतिशत 57.47 प्रतिशत था।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अमुक्त दायित्व

1 दिसम्बर 2004 को या उसके बाद बहाल किए गए राज्य सरकार के कर्मचारियों को एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) में रखा गया है। इस योजना के संदर्भ में, कर्मचारी मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान देता है जिसके विरुद्ध 1 अप्रैल 2019 से मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 14 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा भी दिया जाता है तथा सम्पूर्ण राशि नेशनल सिक््योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित निधि प्रबंधक को हस्तांतरित कर दी जाती है।

झारखण्ड सरकार ने 1 सितंबर 2022 से पुरानी पेंशन योजना (ओ.पी.एस.) में वापसी की अधिसूचना जारी कर दी है। कुल कर्मचारियों में से 1,14,462 ने ओ.पी.एस., 76 ने एन.पी.एस. और 1,024 ने कोई विकल्प नहीं चुना है। चूंकि, अधिकांश कर्मचारियों ने ओ.पी.एस. को चुना है, इसलिए एन.एस.डी.एल. में नियोक्ता का योगदान 2022-23 में ₹ 400.85 करोड़ से घटकर 2023-24 में ₹ 7.66 करोड़ हो गया है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार ने सार्वजनिक खाते में कर्मचारियों के अंशदान के रूप में ₹ 4.61 करोड़ की प्राप्ति के विरुद्ध ₹ 4.28 करोड़ एनएसडीएल के माध्यम से नामित निधि प्रबंधक को हस्तांतरित किए। वर्ष के दौरान ₹ 0.33 करोड़ के अल्प अंतरण को ₹ 78.94 करोड़ के आरंभिक शेष के साथ जोड़ा गया जिससे वर्ष 2023-24 के अंत में सार्वजनिक खाते (मुख्य शीर्ष 8342-117-परिभाषित अंशदान पेंशन योजना) में ₹ 79.27 करोड़ का अंत शेष हुआ।

अनम्य व्यय

2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान, अनम्य व्यय के घटक जिनमें रक्षित निधि में योगदान, सरकार द्वारा एकत्र किए गए उपकर का हस्तांतरण, प्राप्त केंद्रीय निधियों के विरुद्ध सी.एस.एस. का अंशदान और ब्याज देने वाली निधियों पर शामिल ब्याज में ₹ 7,254 करोड़ से ₹ 10,071 करोड़ के बीच उतार-चढ़ाव आया। राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में, अनम्य व्यय में 12 प्रतिशत से 15 प्रतिशत के बीच उतार-चढ़ाव आया। इसके अलावा, पिछले वर्ष (₹ 8,000 करोड़) की तुलना में, 2023-24 के दौरान अनम्य व्यय (₹ 10,071 करोड़) 25.89 प्रतिशत बढ़ा।

सब्सिडी

जैसा कि तालिका 2.15 में दिए गए विवरण में देखा जा सकता है, 2023-24 के दौरान सब्सिडी में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में, सब्सिडी 2022-23 में 5.09 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 5.49 प्रतिशत हो गई। इसी तरह, राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में, सब्सिडी 2022-23 में 6.13 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 6.30 प्रतिशत हो गई।

तालिका 2.15: 2019-20 से 2023-24 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
सब्सिडी (₹ करोड़ में)	4,275	3,208	5,653	4,087	4,831
आर.आर. के प्रतिशतता के रूप में	7.32	5.71	8.11	5.09	5.49
आर.आई. के प्रतिशतता के रूप में	7.57	5.41	9.00	6.13	6.30

स्रोत: वित्त एवं विनियोग लेखे

वर्ष 2023-24 के दौरान, सब्सिडी में मुख्य रूप से मुख्य शीर्ष 2801-विद्युत (₹ 410 करोड़ से) और 3456-जन आपूर्ति (₹ 322 करोड़ से) के अंतर्गत वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान, विद्युत और जन आपूर्ति के लिए दी गई कुल सब्सिडी क्रमशः ₹ 2,300 करोड़ और ₹ 1689 करोड़ थी।

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को अनुदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी गयी है। विवरण तालिका 2.16 में दर्शाई गई है।

तालिका 2.16: संस्थानों आदि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
(क) स्थानीय निकाय					
नगर निगम एवं नगरपालिका	1,505.45	1,930.03	1,042.33	1,266.41	940.50
पंचायती राज संस्थान	2,497.70	1,771.20	772.76	1,462.57	2,278.59
कुल (क)	4,003.15	3,701.23	1,815.09	2,728.98	3,219.09
(ख) अन्य					
विश्वविद्यालय	1,265.29	1,771.17	1,807.60	2,393.67	2,423.63
विकास प्राधिकरण	10,771.73	8,283.26	8,751.59	8,033.52	7,154.86
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	1,753.28	2,119.77	2,469.66	1,000.70	2,867.77
अन्य संस्थान	1,398.01	4,202.24	4,786.01	8,037.18	14,372.85
कुल (ख)	15,188.31	16,376.44	17,814.86	19,465.07	26,819.11
कुल (क+ख)	19,191.46	20,077.67	19,629.95	22,194.05	30,038.20
वेतन के लिए सहायता अनुदान	1,386.79	2,871.82	2,914.63	3,253.09	3,600.27
गैर-वेतन के लिए सहायता अनुदान	10,725.29	10,835.98	11,356.68	12,889.08	17,888.63
पूँजी परिसंपत्तियों के परिनिर्माण के लिए सहायता अनुदान	7,079.39	6,369.87	5,358.63	6,051.88	8,549.30
वस्तुओं के रूप में सहायता अनुदान	राज्य सरकार द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई				
राजस्व व्यय	56,457	59,264	62,778	66,681	76,676
राजस्व व्यय के प्रतिशतता के रूप में सहायता	33.99	33.88	31.27	33.28	39.18

वर्ष 2023-24 के दौरान, यूएलबी को वित्तीय सहायता में ₹ 325.90 करोड़ की कमी आई, जिसका मुख्य कारण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कम अनुदान प्रदान किया जाना (₹ 243.97 करोड़ से) है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत अनुदान की अधिक प्राप्ति (₹ 204.23 करोड़ से) और मनरेगा श्रमिकों को अनुदान (₹ 187.66 करोड़ से) के कारण पीआरआई को वित्तीय सहायता में ₹ 816.02 करोड़ की वृद्धि हुई।

पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता में वर्ष 2023-24 के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि हुई। वेतन और गैर-वेतन उद्देश्यों के लिए सहायता अनुदान में पिछले पाँच वर्षों के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई। वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान राजस्व व्यय में वित्तीय सहायता का हिस्सा 31.27 प्रतिशत और 39.18 प्रतिशत के बीच उत्प्लावित होता रहा।

राज्य वित्त आयोग की सिफारिश

संविधान के अनुच्छेद 243 आई और 243 वाई में प्रावधान है कि राज्य का राज्यपाल अधिनियम के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्ति पर स्थानीय निकायों (एल.बी.) की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने तथा राज्य और स्थानीय निकायों के बीच करों, शुल्कों, फीस आदि के वितरण, करों, शुल्कों, फीस आदि के निर्धारण, स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान तथा स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक उपायों के संबंध में राज्यपाल को सिफारिशें करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा।

राज्य सरकार ने जनवरी 2004 से जनवरी 2024 की अवधि के दौरान चार राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) गठित किए। पहले एसएफसी की सिफारिशें केवल शहरी स्थानीय निकायों के लिए थीं। दिसंबर 2009 और अप्रैल 2015 में गठित दूसरे और तीसरे एसएफसी ने राज्य सरकार को कोई प्रतिवेदन नहीं सौंपी। ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए किसी भी एसएफसी द्वारा कोई सिफारिश नहीं की गई।

यद्यपि राज्य सरकार द्वारा जुलाई 2019 में चौथे एसएफसी के गठन की अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन एसएफसी के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई थी और चौथे एसएफसी का कार्यकाल जनवरी 2024 में समाप्त हो गया। पांचवें एसएफसी का गठन वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 526 दिनांक 23 फरवरी 2024 के तहत अगले पांच वर्षों के लिए यानी 27 जनवरी 2029 तक किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा शहरी स्वायत्त निकायों को सौंपे/साझा न किए गए करों के बदले में पहले एस.एफ.सी. ने 2009-10 में प्रति व्यक्ति ₹ 375 की दर से “कोर म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोविजन ग्रांट” अगले चार वर्षों के लिए 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ के प्रावधान की सिफारिश की थी। हालांकि, न तो शहरी स्वायत्त निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की गई और न ही एस.एफ.सी. द्वारा पर्याप्त वित्तीय संसाधनों के आबंटन का सिद्धांत निर्धारित किया गया।


प्रथम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं को राज्य सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया तथा यह निर्णय लिया गया (अक्टूबर 2013) कि कर्मचारियों के वेतन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को 40 प्रतिशत ऋण तथा 30 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा। विभिन्न प्रकार की सैरातों⁴ को भी शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कर दिया गया, ताकि वे स्वयं अपना राजस्व अर्जित कर सकें। इसके अलावा, प्रथम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार, शहरी आधारभूत संरचना विकास परियोजनाओं (यू.आई.डी.पी.) के लिए झारखण्ड शहरी विकास कोष बनाया गया तथा राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान इसका बजटीय प्रावधान किया। हालांकि, निधियों को शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित नहीं किया गया। 2018-19 के बाद राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया।

2.4.3 पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय (सी.ई.) मुख्य रूप से सड़क, भवन आदि जैसी अचल अवसंरचना परिसंपत्तियों के निर्माण पर किया जाने वाला व्यय है। केंद्र और राज्य दोनों में पूँजीगत व्यय बजटीय सहायता और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों/ऑफ-बजट से पूरा किया जा रहा है। इसमें राज्य सरकार द्वारा कंपनियों/निगमों में किए गए निवेश भी शामिल हैं। पिछले पाँच वर्षों यानी 2019-20 से 2023-24 तक राज्य में पूँजीगत व्यय का रुझान चार्ट 2.10 में दर्शाया गया है।

⁴ सैरात का तात्पर्य नगर परिसंपत्तियों जैसे सार्वजनिक स्थल, बाजार, तालाब आदि से राजस्व कि प्राप्ति से है

चाट 2.10: राज्य में पूँजीगत व्यय



पूँजीगत व्यय में मुख्य बदलाव

वर्ष 2020-21 में पूँजीगत व्यय ₹ 8,466 करोड़ से लगातार बढ़कर 2023-24 में ₹ 20,570 करोड़ हो गया। 2023-24 के दौरान, पूँजीगत व्यय मुख्य रूप से पिछले वर्ष की तुलना में आर्थिक सेवाओं पर अधिक व्यय (63.94 प्रतिशत) के कारण बढ़ा। चालू वर्ष के दौरान सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 26.68 प्रतिशत बढ़ा।

वर्ष 2023-24 के दौरान सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में ₹ 1,393 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण 'जलापूर्ति, स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय' (₹ 1,627 करोड़ से) पर व्यय में वृद्धि थी, जिसकी भरपाई 'शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति' पर पूँजीगत परिव्यय' (₹ 265 करोड़) पर कम व्यय से हुई।

इसी प्रकार, पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय ₹ 5,065 करोड़ बढ़ गया। 2023-24 के दौरान बढ़ोतरी मुख्य रूप से परिवहन (₹ 1,854 करोड़ से) और विद्युत (₹ 1,452 करोड़ से) के कारण हुई।

हालाँकि, वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य का कुल पूँजीगत व्यय (₹ 20,570 करोड़ से) बजट प्रावधान (₹ 679 करोड़ से) से कम था। 2022-23 की तुलना में 2023-24 के दौरान पूँजीगत परिव्यय के घटकों में बड़े बदलाव तालिका 2.17 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.17: 2022-23 के तुलना में 2023-24 के दौरान पूँजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

लेखाओं का मुख्य शीर्ष	2022-23	2023-24	वृद्धि(+)/ कमी (-)
पूँजीगत परिव्यय			
4202-शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति	1,011.79	747.28	-264.51
4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता	1,840.08	3467.14	1,627.06
4217-शहरी विकास	721.66	584.49	-137.17
4225-एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. तथा अन्य अल्पसंख्यकों के कल्याण	848.34	877.73	29.39
4402-मृदा एवं जल संरक्षण	456.15	458.84	2.69
4425-सहकारिता	116.04	379.45	263.41
4515-ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2,219.58	3514	1,294.42
4701-मध्यम सिंचाई	714.76	968.31	253.55
4702-लघु सिंचाई	257.78	222.6	-35.18
4801-विद्युत परियोजना	153.96	1605.78	1,451.82
5054-सड़क एवं पुल	3352.85	5206.8	1,853.95

2.4.4 पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता

यह खंड चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किए गए निवेश और अन्य पूँजीगत व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

कंपनियों, निगमों और अन्य निकायों में निवेश की गुणवत्ता

झारखण्ड में कुल 32 में से 17 कंपनियों से प्राप्त नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार, छः कंपनियों⁵ की निवल परिसंपत्ति पूरी तरह से समाप्त हो गयी थी, क्योंकि उनका संचयी निवल परिसंपत्ति 31 मार्च 2024 को (-) ₹ 13,287.27 करोड़ था। 31 मार्च 2024 को इन एस.पी.एस.ई. का संचयी हानि ₹ 17,868.68 करोड़ था।

आगे, उनके लेखाओं के अनुसार, तीन कंपनियों को हानि हो रही थी और वर्ष 2023-24 के दौरान उनकी हानि ₹ 3,944.48 करोड़ थी। हानि में चल रही इन कंपनियों में से दो कंपनियों (झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड और झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड) को सरकार से वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 4,227.75 करोड़ का ऋण प्राप्त हुआ।

यह भी देखा गया कि इन 32 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कुल निवेश ₹ 33,355.42 करोड़ था, जिसमें से 31 मार्च 2024 तक राज्य द्वारा कुल निवेश ₹ 30,795.58 करोड़ था।

⁵ झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (- ₹ 12,065.75 करोड़), झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड (- ₹ 1137.64 करोड़), झारखण्ड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (- ₹ 33.20 करोड़), झारखण्ड कोलियरी लिमिटेड (- ₹ 2.99 करोड़), पतरातू एनर्जी लिमिटेड (- ₹ 16.36 करोड़) और करणपुरा एनर्जी लिमिटेड (- ₹ 31.34 करोड़)

सरकार द्वारा इक्विटी में निवेश

31 मार्च 2024 को समाप्त राज्य के वित्त लेखे के अनुसार, राज्य सरकार ने नवंबर 2000 में राज्य के गठन के बाद से तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों⁶ (आरआरबी) (₹ 46.41 करोड़), 22 सरकारी कंपनियों/निगमों (₹ 3,807.14 करोड़) और 22 सहकारी बैंकों और समितियों (₹ 289.09 करोड़) में ₹ 4,142.64 करोड़ का निवेश किया था। हालांकि, 2016-17 के दौरान राज्य के पीएसयू खातों और संस्वीकृत्यादेशों के सत्यापन से पता चला कि सरकारी खातों ने 2000-2016 के दौरान नौ कंपनियों/निगमों में ₹ 124.54 करोड़ का निवेश कम दिखाया था, जिसका कारण गलत बजटीय वर्गीकरण था, अर्थात् उचित लघु शीर्ष के तहत निवेश के लिए प्रावधान नहीं करना और इक्विटी में निवेश के बजाय शेयर पूंजी में निवेश को सहायता अनुदान के रूप में दर्शाना था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, राज्य के वित्त विभाग ने 2020-21 के अंत में चार कंपनियों के संबंध में ₹ 65 करोड़⁷ की राशि के निवेश के आंकड़ों का मिलान और सुधार किया। हालांकि, चालू वित्तीय वर्ष के अंत में पांच संस्थाओं के विरुद्ध ₹ 59.54 करोड़⁸ का निवेश अभी भी असमायोजित है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, 22 कम्पनियों/निगमों तथा 22 सहकारी बैंकों एवं समितियों द्वारा राज्य सरकार को दिए गए निवेश पर प्रतिफल का विवरण तालिका 2.18 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.18: निवेश पर प्रतिफल

निवेश/प्रतिफल/ उधार की लागत	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	447.95	1,111.65	2,250.22	2,483.36	4,142.64
प्रतिफल (₹ करोड़ में)	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
प्रतिफल (प्रतिशत)	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
सरकारी उधारी पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	6.34	6.13	5.76	5.50	5.77
ब्याज दर तथा प्रतिफल में अंतर (प्रतिशत)	-6.34	-4.78	-5.76	-5.50	-5.77

स्रोत: वित्त लेखे

⁶ राज्य सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (₹18.96 करोड़), झारखण्ड ग्रामीण बैंक, राँची (₹19.05 करोड़) और वनांचल ग्रामीण बैंक, दुमका (₹8.40 करोड़)

⁷ झारखण्ड हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम: ₹ 5 करोड़; झारखण्ड शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम: ₹ 35 करोड़; झारखण्ड सिल्क टेक्सटाइल एवं हस्तशिल्प विकास निगम: ₹ 10 करोड़ तथा झारखण्ड शहरी परिवहन निगम लिमिटेड: - ₹ 15 करोड़।

⁸ ग्रेटर राँची विकास प्राधिकरण: ₹ 39.14 करोड़; झारखण्ड राज्य कृषि विकास निगम लिमिटेड: ₹ 2 करोड़; झारखण्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आधारभूत संरचना विकास एवं अधिप्राप्ति निगम लिमिटेड: ₹ 5 करोड़; झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड: ₹ 8.40 करोड़ तथा झारखण्ड राज्य खाद्य एवं जनापूर्ति निगम लिमिटेड: ₹ 5 करोड़

अपने निवेश पर कोई प्रतिफल नहीं मिलने के बावजूद, राज्य सरकार ने 2023-24 के दौरान इक्विटी के रूप में ₹ 1,659.28⁹ करोड़ का निवेश किया।

पूर्ववर्ती बिहार राज्य द्वारा दामोदर घाटी निगम (₹ 1,781.55 करोड़) और तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (₹ 100 करोड़) में इक्विटी के रूप में 14 नवंबर 2000 तक किए गए निवेश को अभी तक उत्तरवर्ती बिहार और झारखण्ड राज्यों के बीच विभाजित नहीं किया गया है।

2.4.5 राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण व अग्रिम

तालिका 2.18 में दर्शाए गए संस्थाओं में इक्विटी निवेशों के अलावे राज्य सरकार इनमें से कई संस्थाओं और अपने कर्मचारियों को ऋण व अग्रिम भी प्रदान करती है। 31 मार्च 2024 को बकाया ऋण व अग्रिम तथा ब्याज प्राप्तियों के साथ-साथ पिछले पाँच वर्षों के दौरान ब्याज भुगतान तालिका 2.19 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 2.19: 2019-20 से 2023-24 के दौरान प्रदत्त और वसूली गई ऋण की मात्रा
(₹ करोड़ में)

प्रदत्त तथा वसूली गई ऋण की मात्रा	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
बकाया ऋण का प्रारंभिक शेष	20,729.99	20,846.24	24,177.23	24,348.48	28,513.21
वर्ष के दौरान अग्रिम के रूप में दी गई राशि	165.43	3,379.77	1,462.98	4,211.14	4,290.85
वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	49.19	48.78	1,291.73	46.41	7,276.70
बकाया ऋण का अंत शेष	20,846.23	24,177.23	24,348.48	28,513.21	25,527.36
निवल जोड़	116.24	3,330.99	171.25	4,164.73	-2,985.85
प्राप्त ब्याज	38.91	22.62	35.88	70.55	16.62
सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण और अग्रिम पर ब्याज दर	0.19	0.11	0.15	0.29	0.07
सरकार के बकाया उधार पर भुगतान किया गया ब्याज दर	6.34	6.13	5.76	5.50	5.77
ब्याज भुगतान दर तथा प्राप्त ब्याज दर के बीच अंतर (प्रतिशत)	6.34	6.13	5.76	5.21	5.70

टिप्पणी- लेखों को पूर्णांकित करने के कारण 2020-21 में प्रारंभिक शेष ₹ 0.01 करोड़ से बढ़ गया

मार्च 2024 के अंत में कुल बकाया ऋणों (₹ 25,527 करोड़) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मुख्य रूप से बिजली कंपनियों (₹ 24,515 करोड़) और जलापूर्ति और स्वच्छता (₹ 294 करोड़), आवास (₹ 74 करोड़) और शहरी विकास (₹ 453 करोड़) के पास बकाया था।

वर्ष के दौरान दिए गए ऋण ₹ 4,290.85 करोड़ हैं, जिनमें से विद्युत कंपनियों को ₹ 4,227.75 करोड़ संवितरित किए गए थे। जेबीभीएनएल द्वारा वसूली में मुख्य रूप से ₹ 7,230.80 करोड़ (वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा पीएसयू से विद्युत खरीद का बकाया भुगतान से ₹ 1,094.44 करोड़ और पिछले वर्षों में सरकार द्वारा प्रदान

⁹ झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड: ₹ 66.78 करोड़; सिद्धो कान्हो कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड: ₹ 48.00 करोड़; जनजातीय सहकारी विकास निगम: ₹ 0.50 करोड़; झारखण्ड मध्य रेलवे परियोजना: ₹ 5.00 करोड़ तथा झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 1,539.00 करोड़।

की गई 'उदय' योजना से ₹ 6,136.36 करोड़) की अप्रयुक्त शेष राशि का अभ्यर्पण शामिल है।

मार्च 2024 के अंत में ऋणी संस्थाओं की बकाया राशि ₹ 4,095.22 करोड़ (मूलधन: ₹ 2,059.87 करोड़ और ब्याज: ₹ 2,035.35 करोड़) थी।

2011-12 में झारखण्ड राज्य खाद्य एवं जन आपूर्ति निगम लिमिटेड (₹ 44 करोड़) का ऋण, पूँजीगत व्यय के स्थान पर राजस्व व्यय के अधीन गलत बजटीय वर्गीकरण के कारण सरकारी लेखों में कम आँकी गई। झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जे.एस.ई.बी.) को प्रदत्त ₹ 7,222.18 करोड़ के ऋण को बोर्ड से प्राप्तियों के रूप में सरकारी लेखों में दर्शाया जाना जारी है, जबकि बोर्ड जनवरी 2014 में विभिन्न कंपनियों में विभाजित हो गया था। इस प्रकार, राज्य की परिसंपत्तियों को ₹ 7,222.18 करोड़ तक बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया गया।

आगे, 14 नवम्बर 2000 तक पूर्ववर्ती बिहार राज्य द्वारा तेनुघाट विद्युत् निगम लिमिटेड (₹ 608 करोड़) के ऋण का बँटवारा उत्तराधिकारी राज्यों बिहार तथा झारखण्ड के बीच नहीं किया गया।

2.4.6 अधूरी परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी

अधूरे परियोजनाओं/कार्यों पर धनराशि के अवरुद्ध होने से, व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और लंबे समय के लिए इच्छित लाभों से राज्य को वंचित रहना पड़ता है। पुनः, संबंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए लिया गया उधार, ऋण और ब्याज देनदारियों की सेवा के रूप में अतिरिक्त बोझ बढ़ाता है।

अपूर्ण परियोजनाओं (भौतिक स्थिति 90 प्रतिशत तक) से संबंधित वर्षवार और विभागवार जानकारी, जिन्हें 31 मार्च 2024 को या उससे पहले पूरा किया जाना था, क्रमशः तालिका 2.20 और तालिका 2.21 में दी गई है।

तालिका 2.20: 31 मार्च 2024 तक अधूरी परियोजनाओं का आयु-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

पूर्ण होने का वर्ष	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय (31 मार्च 2024 तक)	संशोधित अनुमान	
				परियोजनाओं की संख्या	राशि
2019 तक	31	524.42	330.76	0	0
2020	34	1,213.09	761.49	0	0
2021	18	869.55	545.05	0	0
2022	20	2,352.10	1,126.07	0	0
2023	65	693.89	373.94	0	0
कुल	168	5,653.05	3,137.31	0	0

तालिका 2.21: 31 मार्च 2024 तक अधूरी परियोजनाओं का विभाग-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	अनुमानित राशि	व्यय	संशोधित अनुमान	
				परियोजनाओं की संख्या	बढ़ी राशि
सड़क निर्माण विभाग	61	2,399.07	1,380.71	0	0
ग्रामीण विकास विभाग	15	80.45	52.28	0	0
जल संसाधन विभाग	41	2,841.93	1,526.94	0	0
ग्रामीण कार्य विभाग	34	90.62	53.74	0	0
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	13	218.05	115.19	0	0
भवन निर्माण विभाग	4	22.93	8.45	0	0
कुल	168	5,653.05	3,137.31	0	0

स्रोत: राज्य सरकार के वित्त लेखे

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत तक ₹ 3,137.31 करोड़ व्यय के बावजूद ₹ 5,653.05 करोड़ की अनुमानित लागत वाली 168 परियोजनाएँ अधूरी थीं। ये परियोजनाएँ पूर्ण होने के लक्ष्य वर्ष से एक से 12 वर्ष तक विलंबित थीं। चूंकि विभागों ने संशोधित लागत का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया था, इसलिए इसे वित्त लेखों में प्रदर्शित नहीं किया गया, इसलिए इन परियोजनाओं पर लागत वृद्धि का पता नहीं लगाया जा सका।

2.4.7 व्यय की प्राथमिकता

मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसी प्रमुख सामाजिक सेवाओं पर व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। एक विशेष क्षेत्र से जुड़ी राजकोषीय प्राथमिकता (व्यय की एक श्रेणी के तहत कुल व्यय का अनुपात) को कम माना जाता है, यदि इस पर आवंटन संबंधित राष्ट्रीय औसत से कम होता है। कुल व्यय से इन घटकों का अनुपात जितना अधिक होता है, व्यय की गुणवत्ता को उतना बेहतर माना जाता है। राज्य के व्यय की प्राथमिकता तालिका 2.22 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.22: स्वास्थ्य, शिक्षा और पूँजीगत व्यय के संबंध में राज्य के व्यय की प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

	सी.ई./टी.ई.	एस.एस.ई./टी.ई.	ई.एस.ई./टी.ई.	डी.ई./टी.ई.	शिक्षा/टी.ई.	स्वास्थ्य/ टी.ई.
सामान्य श्रेणी के राज्य (2018-19)	15.58	36.60	30.65	67.24	14.76	5.07
झारखण्ड (2018-19)	19.41	32.51	38.06	70.56	12.95	5.41
सामान्य श्रेणी के राज्य (2023-24)	16.50	37.92	30.01	67.93	14.36	5.71
झारखण्ड (2023-24)	24.48	34.81	39.00	73.81	12.24	5.44

जैसा कि तालिका 2.22 से देखा जा सकता है कि 2023-24 के दौरान, कुल व्यय (टीई) में आर्थिक क्षेत्र व्यय और सामाजिक क्षेत्र व्यय का अनुपात बढ़ गया, जबकि


टीई के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय का अनुपात लगभग उतना ही बना रहा जितना 2018-19 के दौरान था।

इसके अलावा, 2023-24 के दौरान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्रों के अलावा राज्य के कुल व्यय में क्षेत्रीय व्यय का अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के अनुपात से अधिक था।

2.4.8 वस्तु शीर्ष-वार व्यय

वित्त लेखे प्रायः लघु शीर्ष स्तर तक के लेन-देन को दर्शाता है। हालाँकि, वित्त लेखे के विवरण चार में वस्तु शीर्ष के स्तर तक का विवरण दिखाया जाता है। **चार्ट 2.11** प्रमुख वस्तुओं पर राजस्व व्यय के विषय/उद्देश्य की हिस्सेदारी दिखाता है।

चार्ट 2.11: मुख्य मदों पर राजस्व व्यय (प्रतिशत में)



जैसा कि **चार्ट 2.11** में दर्शाया गया है, वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्व व्यय का एक बड़ा हिस्सा (48 प्रतिशत) वेतन, पेंशन, ब्याज और सव्बिसडी पर व्यय द्वारा उपभोग किया गया था। राज्य में पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान पर राजस्व व्यय का 11 प्रतिशत से अधिक उपयोग किया गया, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा विकासात्मक प्राधिकरणों (₹ 2,584.33 करोड़) और कार्यकारी अभियंता, डी.डब्ल्यू.एंड एस. प्रमंडल, राँची पश्चिमी (₹ 3,144.14 करोड़) को प्रदान किया गया।

2.5 लोक लेखा

प्राप्तियाँ और संवितरण के कुछ लेन-देन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, रक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण आदि जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होते हैं, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के तहत निर्धारित लोक लेखा में रखा जाता है और यह राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं होता है। इस संबंध में सरकार

एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरण के बाद शेष राशि सरकार के पास विभिन्न उद्देश्यों में उपयोग के लिए उपलब्ध होती है।

2.5.1 निवल लोक लेखा शेष

राज्य के लोक लेखा में घटक-वार निवल शेष तालिका 2.23 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.23: 31 मार्च 2024 तक लोक लेखाओं में घटक-वार निवल शेष

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप-क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
I. लघु बचत, भविष्य निधि आदि	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	(-)1,216.86	(-)1,194.40	(-)1,001.19	(-)1,016.98	(-)1,557.44
J. आरक्षित निधि	(क) ब्याज सहित रक्षित निधि	(-)5,948.02	(-)6,320.39	(-)5,904.48	(-)5,131.79	(-)7,995.66
	(ख) ब्याज रहित रक्षित निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. जमा व अग्रिम	(क) ब्याज सहित जमा	(-)39.55	(-)25.33	(-)24.15	(-)78.94	(-)79.27
	(ख) ब्याज रहित जमा	(-)21,065.20	(-)24,331.45	(-)23,585.14	(-)26,876.14	(-)30,768.65
	(ग) अग्रिम	7.15	19.67	19.67	17.66	0.00
L. उचित एवं विविध	(ख) उचित	(-)91.29	(-)146.35	(-)119.25	(-)414.30	(-)382.43
	(ग) अन्य लेखे	3,117.62	2,855.90	4,519.46	5,187.74	8,151.32
	(घ) विदेशी सरकार के साथ लेखे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(ङ) विविध	0.00	1.60	1.60	1.60	1.60
M. प्रेषण	(क) मनीऑर्डर एवं अन्य प्रेषण	(-)114.25	(-)133.68	(-)125.38	(-)87.35	(-)53.36
	(ख) अंतर सरकारी समायोजन खाता	31.95	7.23	12.74	10.81	5.27
कुल		(-)25,318.45	(-)29,267.20	(-)26,206.12	(-)28,387.69	(-)32,678.62

नोट: (+) डेबिट शेष एवं (-) क्रेडिट शेष को दर्शाते हैं

2023-24 के दौरान शीर्ष 8448- स्थानीय निधि की जमा राशि के अंतर्गत अन्य निधियों के रूप में जमा के तहत जमा व अग्रिम (₹ 2,581.94 करोड़ से) में वृद्धि के कारण क्रेडिट शेष में वृद्धि हुई।

2.5.2 ब्याज सहित रक्षित निधि

राज्य सरकार के लोक लेखा के अंतर्गत विशिष्ट और परिभाषित उद्देश्यों के लिए रक्षित निधियाँ बनाई जाती हैं। इन निधियों को राज्य की समेकित निधि से अंशदान या अनुदान से पूरा किया जाता है। वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य में दो ब्याज देने वाली रक्षित निधियाँ थीं (1) राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एसडीआरएमएफ) और (2) राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि। एसडीआरएमएफ में दो निधियाँ शामिल हैं (i) राज्य आपदा मोचन निधि और (ii) राज्य आपदा शमन निधि।

31 मार्च 2024 तक ब्याज वाली रक्षित निधियों का अंतिम शेष (₹ 8,395.66 करोड़) पिछले वर्ष (₹ 5,531.79 करोड़) की तुलना में काफी अधिक था, जिसका मुख्य कारण ₹ 1,390 करोड़ (राज्य का हिस्सा+केंद्र का हिस्सा) एसडीआरएमएफ में

स्थानांतरित होना था। पिछले वर्ष केंद्रीय हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए एसडीआरएफ में कोई राशि स्थानांतरित नहीं की गई। इसके अलावा, 'राष्ट्रीय क्षतिपूरक वनीकरण निधि' से ₹ 1,262.55 करोड़ की प्राप्ति ने भी रक्षित निधि के अंतिम शेष को बढ़ाने में योगदान दिया।

राज्य आपदा मोचन निधि

एस.डी.आर.एफ. दिशानिर्देश 2015 के कंडिका 7 के अनुसार, राज्य सरकार को भारत सरकार से प्राप्त हिस्से के साथ-साथ अपने हिस्से को एस.डी.आर.एफ. के लोक लेखा में प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर हस्तांतरित करना आवश्यक होता है। किसी भी देरी के लिए राज्य सरकार को देरी के दिनों के हिसाब से ब्याज सहित राशि (आर.बी.आई. की ओवरड्राफ्ट नियमावली के अंतर्गत ओवरड्राफ्ट लागू दर) जारी करने की आवश्यकता होती है।

एस.डी.आर.एफ. दिशानिर्देश 2015 के कंडिका 19 और 20 के अनुसार, राज्य द्वारा निधि के तहत शेष का (क) केन्द्र सरकार दिनांकित प्रतिभूतियाँ (ख) नीलामी की गई कोषागार विपत्रों और (ग) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ ब्याज वाले जमा और जमा के प्रमाण-पत्र में निवेश किया जाना चाहिए। वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार ने (जुलाई 2019) में कहा कि वर्ष 2012-13 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में ₹ 400 करोड़ का निवेश किया था लेकिन 2012-13 के बाद कोई निवेश नहीं किया गया।

इसके अलावा, दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकार को ओवरड्राफ्ट पर देय ब्याज (8.5 प्रतिशत) की दर से गैर-निवेशित शेष राशि पर ब्याज का भुगतान करना आवश्यक था, जिसे फंड के कॉर्पस में ही जोड़ा जाना था। इसके निर्माण के बाद से, एसडीआरएफ पर 2011-24 की अवधि के लिए लागू ब्याज दरों पर ₹ 1,098.66 करोड़ का ब्याज बनता है, जिसमें से पिछले वर्षों से संबंधित ₹ 703.70 करोड़ राज्य द्वारा 2023-24 के दौरान फंड में स्थानांतरित कर दिए गए थे। ₹ 394.96 करोड़ के भुगतान नहीं किए गए ब्याज में से, अकेले 2023-24 के लिए ब्याज की राशि ₹ 94.46 करोड़ थी। 2023-24 से संबंधित ₹ 94.46 करोड़ के ब्याज का हस्तांतरण न करने के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए राजस्व अधिशेष में अतियोक्ति हुई और राजकोषीय घाटे न्यूनोक्ति हुई। परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2024 तक निधि में ₹ 2,786.36 करोड़ की गैर-निवेशित शेष राशि केवल खाता प्रविष्टियाँ हैं और वास्तविक नकद शेष राशि का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। इस तरह का अदत्त ब्याज राज्य की बेहिसाब देनदारियों का प्रतिनिधित्व करता है।

तालिका 2.24 एसडीआरएफ पर भारित व्यय का विवरण प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.24: एस.डी.आर.एफ को भारत व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

लेखे के मुख्य शीर्ष	लेखे के लघु शीर्ष	2023-24 के दौरान व्यय
2245- प्राकृतिक आपदा पर राहत 02- बाढ़, चक्रवात आदि	101- आनुग्रहिक राहत	1.65
	113- घर के मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए राहत	0.75
	114- किसानों को कृषि इनपुट के खरीदी के लिए सहायता	1.02
उप-योग		3.42
2245- प्राकृतिक आपदा पर राहत 05- राज्य आपदा मोचन निधि	101- रक्षित निधि एवं जमा निधि में स्थानांतरण-एस.डी.आर.एफ.	635.20
	901- कटौती - राज्य आपदा मोचन निधि से मिली राशि	41.52
उप-योग		593.68
2245-प्राकृतिक आपदा पर राहत 80- सामान्य	101- आपदा तैयारी के प्रशिक्षण का केंद्र	0.70
	102- प्राकृतिक आपदा का प्रबंधन, आपदा प्रवृत्त क्षेत्रों में आकस्मिक योजना इत्यादि	37.79
उप-योग		37.79
कुल योग		634.89

उपरोक्त के अलावा, 2022-23 के दौरान चक्रवाती तूफान “यास” के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार से प्राप्त ₹ 200 करोड़ को उसी वित्तीय वर्ष में एसडीआरएफ में स्थानांतरित और शामिल कर दिया गया।

राज्य आपदा शमन निधि

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) (सी) के तहत राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (एसडीएमएफ) का गठन किया जाना है। यह कोष विशेष रूप से राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) / राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित राज्य विशिष्ट स्थानीय आपदाओं के अंतर्गत आने वाली आपदाओं के संबंध में शमन परियोजनाओं के उद्देश्य से संबंधित है। राज्य सरकार ने दिसंबर 2022 में एक अधिसूचना के माध्यम से एसडीएमएफ का गठन किया। केंद्र और राज्य सरकारों को 75:25 के अनुपात में कोष में योगदान करना आवश्यक है। हालांकि, राज्य सरकार ने 31 मार्च 2024 तक मुख्य शीर्ष '8121-130- राज्य आपदा शमन निधि' के अंतर्गत इस उद्देश्य के लिए कोई बजटीय प्रावधान नहीं किया है। नतीजतन, राज्य सरकार ने इस निधि में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 से संबंधित 2022-23 के दौरान केंद्र सरकार से प्राप्त ₹113.60 करोड़ की राशि और इसके अनुरूप राज्य का हिस्सा ₹ 37.80 करोड़ शामिल है। 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार को इस मद में केंद्र सरकार से हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ।

राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि

क्षतिपूरक वनीकरण निधि (लेखा प्रक्रिया) नियम, 2018 के अनुसार, उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त सभी धनराशि को पहले मुख्य शीर्ष '8336-सिविल जमा' के नीचे लघु शीर्ष '103-राज्य क्षतिपूरक वनीकरण जमा' में जमा किया जाना आवश्यक है। इसके बाद, 90 प्रतिशत राशि को मुख्य शीर्ष '8121-सामान्य और अन्य आरक्षित निधि' के नीचे लघु शीर्ष '129-राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि' में स्थानांतरित किया जाएगा। शेष 10 प्रतिशत राशि को मुख्य शीर्ष '8336-सिविल जमा-11 झारखण्ड' के अंतर्गत लघु शीर्ष '102-राष्ट्रीय क्षतिपूरक वनीकरण जमा' में जमा करके मासिक आधार पर राष्ट्रीय निधि में स्थानांतरित किया जाएगा।

इसके अलावा, तदर्थ प्राधिकरण (एकमुश्त उपाय) से राज्य के हिस्से का 90 प्रतिशत प्राप्त होने पर, इसे मुख्य शीर्ष '8121-सामान्य और अन्य रक्षित निधि' के अंतर्गत लघु शीर्ष '129-राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि' में भी जमा किया जाएगा।

एस.सी.ए.एफ. में प्रारम्भिक शेष ₹ 4,020.53 करोड़ थी, 2023-24 के दौरान प्राप्ति ₹ 1,397.24 करोड़ थी। वर्ष के दौरान राज्य द्वारा वहन किया गया व्यय ₹ 208.46 करोड़ था, जिससे 31 मार्च 2024 तक एस.सी.ए.एफ. में ₹ 5,209.31 करोड़ का शेष रह गया।

चूंकि एस.सी.ए.एफ. एक ब्याज देने वाली रक्षित निधि है, इसलिए सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार गणना करके ₹ 134.69 करोड़ का ब्याज चुकाया (₹ 4,020.53 करोड़ के प्रारंभिक शेष पर 3.35 प्रतिशत)।

2.5.3 ब्याज रहित रक्षित निधि

मार्च 2023 के अंत में ब्याज रहित रक्षित निधियों में ₹ 1,003.87 करोड़ का अंत शेष, मार्च 2024 के अंत में उल्लेखनीय रूप से बढ़कर ₹ 2,270.95 करोड़ हो गया, जिसका कारण 'ब्याज रहित रक्षित निधियों' में ₹ 1,267.08 करोड़ का हस्तांतरण है जो निम्नलिखित उप-कंडिका में विस्तृत रूप से वर्णित है।

समेकित हास निधि

12^{वें} वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद, राज्य ने बैंकों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि आदि के कारण देनदारियों सहित सभी ऋणों के परिशोधन के लिए समेकित हास निधि की स्थापना (2016-17) की है।

झारखण्ड सरकार ने 2016-17 में ऋणों के परिशोधन के लिए समेकित हास निधि की स्थापना की। निधि के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य पिछले वर्ष के अंत में अपनी बकाया देनदारियों (आंतरिक ऋण + लोक लेखे) का न्यूनतम 0.50 प्रतिशत राज्य सरकार की समेकित हास निधि (कुल आंतरिक ऋण और लोक लेखे) में योगदान कर सकते हैं।

वर्ष 2023-24 में सरकार ने हास निधि में ₹ 567.00 करोड़ हस्तांतरित किए थे, जो ₹ 1,003.87 के प्रारम्भिक शेष में जुड़कर मार्च 2024 के अंत में ₹ 1,570.87 करोड़ का अंत शेष हो गया। निधि में शेष में दिखाई गई पूरी राशि राज्य सरकार द्वारा (2020-21 में ₹ 303.87 करोड़, 2021-22 में ₹ 200.00 करोड़, 2022-23 में ₹ 500.00 करोड़, 2023-24 में ₹ 567.00 करोड़) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में निवेश की गई थी।

प्रत्याभूति मोचन निधि

भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि कोई राज्य भारत के क्षेत्र में अपनी समेकित निधि की प्रतिभूति पर, ऐसी सीमाओं के भीतर उधार ले सकता है, जो समय-समय पर उसके विधानमंडल के अधिनियम द्वारा निर्धारित की जाएं तथा ऐसी सीमाओं के भीतर प्रत्याभूति दे सकता है, जो निर्धारित की जाएं।

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, 'राज्य सरकार को राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अन्य निकायों द्वारा जारी बांडों और अन्य उधारों के संबंध में सरकार द्वारा जारी प्रत्याभूतियों से उत्पन्न भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रत्याभूति मोचन निधि (जीआरएफ) का गठन करना था और लाभार्थियों द्वारा इसका आह्वान किया गया था। हालांकि, निधि का गठन नहीं किया गया है।

झारखण्ड सरकार के वित्त लेखों के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक राज्य द्वारा ₹ 4,998.38 करोड़ की प्रत्याभूति दी गई थी।

श्रम उपकर

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम 1998 की धारा 5 के अनुसार, ठेकेदारों से श्रम उपकर के रूप में एकत्रित राशि झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (बी.ओ.सी.डब्ल्यू.) कल्याण बोर्ड को हस्तांतरित की जानी थी।

वित्त लेखा के अनुसार, वर्ष 2023-24 के दौरान सरकार ने श्रम उपकर के रूप में ₹ 93.34 करोड़ एकत्र किए, जिससे 2008-24 की अवधि के दौरान सरकारी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने वाले ठेकेदारों से सरकार द्वारा उपकर के रूप में कुल ₹ 826.34 करोड़ का संग्रहण हुआ। **तालिका 2.25** सरकार द्वारा एकत्रित और झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को हस्तांतरित श्रम उपकर को दर्शाती है।

तालिका 2.25: सरकार द्वारा एकत्र किए गए और बोर्ड को हस्तांतरित किए गए श्रम उपकर

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उपकर के रूप में प्राप्त राशि	सरकार द्वारा हस्तांतरित राशि	सरकार के पास बकाया राशि
2016-17 तक	312.90	4.83*	513.51
2017-18	80.77	-	

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

वर्ष	उपकर के रूप में प्राप्त राशि	सरकार द्वारा हस्तांतरित राशि	सरकार के पास बकाया राशि
2018-19	79.81	-	
2019-20	76.70	-	
2020-21	59.15	-	
2021-22	54.86	-	
2022-23	68.81	154.00	
2023-24	93.34	154.00	
कुल	826.34	312.83	513.51

* बी.ओ.सी.डब्ल्यू. से प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुसार परिशोधित

झारखण्ड बी.ओ.सी.डब्ल्यू. बोर्ड ने 2023-24 तक के लिए अपने खाते तैयार किए थे। मार्च 2024 तक राज्य सरकार ने कुल ₹ 826.34 करोड़ के संग्रह में से केवल ₹ 312.83 करोड़ ही बोर्ड को हस्तांतरित किए। नतीजतन, राज्य सरकार की देनदारी उस सीमा तक बढ़ गई।

बोर्ड द्वारा प्रस्तुत 2023-24 तक के लिए प्राप्तियों और निधियों के उपयोग का विवरण तालिका 2.26 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.26: बोर्ड द्वारा प्राप्त राशि और उसकी उपयोगिता का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सरकार द्वारा दी गई राशि	बोर्ड द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त उपकर	कुल प्राप्तियाँ	योजनाओं ¹⁰ पर बोर्ड द्वारा व्यय राशि	स्थापना पर व्यय राशि	कुल व्यय	अनुप्रयुक्त शेष राशि
(1)	(2)	(3)	{{(2+3)=4}}	(5)	(6)	{{(5+6)=7}}	{{(4-7)=8}}
2015-16 तक	4.83*	252.16	256.99	104.08	1.66	105.74	151.25
2016-17	0.00	70.26	70.26	48.33	1.29	49.62	20.64
2017-18	0.00	74.01	74.01	41.64	0.90	42.54	31.47
2018-19	0.00	90.19	90.19	59.19	0.89	60.08	30.10
2019-20	0.00	120.00	120.00	75.78	0.83	76.61	43.40
2020-21	0.00	171.65	171.65	101.30	1.60	102.90	68.75
2021-22	0.00	124.31	124.31	101.64	2.23	103.87	20.44
2022-23	154.00	371.92	525.92	94.26	1.98	96.24	429.68
2023-24	154.00	400.07	554.07	53.64	5.92	59.56	494.51
कुल	312.83	1,674.57	1,987.40	679.86	17.30	697.16	1,290.24

स्रोत: झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

* बी.ओ.सी.डब्ल्यू. से प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुसार परिशोधित

2009-10 से 2023-24 की अवधि के दौरान, बोर्ड द्वारा कल्याणकारी योजनाओं पर ₹ 679.86 करोड़, जबकि स्थापना पर ₹ 17.30 करोड़ व्यय किए गए। बोर्ड ने उपलब्ध धनराशि का केवल 35.08 प्रतिशत ही उपयोग किया।

¹⁰ झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण दिनांक 14.11.2024 के अनुसार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत 16 योजनाएं चल रही हैं।

अन्य उपकर/शुल्क/अधिभार

वित्त लेखे के अनुसार, सरकार ने वर्ष 2023-24 के दौरान भूमि उपकर के रूप में ₹ 0.57 करोड़ एकत्र किए जिससे 2008-24 की अवधि के दौरान कुल ₹ 185.30 करोड़ का संग्रह हुआ। हालाँकि, मार्च 2024 तक राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट निधि (मुख्य शीर्ष '8448-101 जिला निधि) में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की गई थी।


इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सरकार द्वारा श्रम कल्याण बोर्ड (श्रम उपकर: ₹ 93.34 करोड़) और जिला परिषदों (भूमि उपकर: ₹ 0.57 करोड़) को हस्तांतरित किया जाने वाला कुल उपकर ₹ 93.91 करोड़ था। इसके हस्तांतरण नहीं करने के परिणामस्वरूप राज्य के राजस्व अधिशेष की अत्योक्ति और राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति हुई।

2.5.4 लोक दायित्व प्रबंधन

सार्वजनिक दायित्व का प्रबंधन, सरकार के दायित्व के प्रबंधन के लिए एक रणनीति स्थापित करने और उसे क्रियान्वित करने की प्रक्रिया है, ताकि आवश्यक धनराशि जुटाई जा सके, जोखिम और लागत संबंधी उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके, तथा सरकार द्वारा अधिनियम या किसी अन्य वार्षिक बजट घोषणा के माध्यम से निर्धारित किए गए किसी अन्य संप्रभु ऋण प्रबंधन लक्ष्यों को पूरा किया जा सके।

2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए राज्य की बकाया देनदारी और जी.एस.डी.पी. में उसका प्रतिशत चार्ट 2.12 में दर्शाया गया है। 31 मार्च 2024 तक राज्य की देनदारियों और परिसंपत्तियों का सारांश परिशिष्ट 2.3 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.12: बकाया लोक ऋण और जी.एस.डी.पी. में इसका प्रतिशत



नोट: बकाया ऋण में 2020-21 में ₹ 1,689.00 करोड़ और 2021-22 में ₹ 2,484.41 करोड़ शामिल हैं, जो जी.एस.टी. मुआवजे में कमी के बदले भारत सरकार द्वारा बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में प्राप्त किया गया था।

2.5.4.1 दायित्व विवरणिका: घटक

राज्य सरकार की कुल देनदारियों में आम तौर पर राज्य का आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, आर.बी.आई. से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियां और वित्तीय संस्थानों से ऋण, इत्यादि), केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम और लोक लेखा दायित्व शामिल होती हैं।

2019-24 के दौरान लोक दायित्वों और लोक लेखा दायित्वों के तहत प्राप्तियों और अदायगी के कारण निधि की उपलब्धता का विवरण तालिका 2.27 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.27: घटक-वार दायित्व प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कुल बकाया दायित्व (क+ख)	94,406.60	1,09,184.99[#]	1,13,482.47[#]	1,18,448.22	1,27,608.51
क. लोक दायित्व	66,136.98	76,938.35	82,531.53	84,944.37	86,807.49
(i) आंतरिक ऋण	63,545.46	71,956.90	74,538.31	73,580.43	70,658.82
(ii) भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2,591.52	4,981.45	7,993.22	11,363.94	16,148.67
ख. लोक लेखा का दायित्व	28,269.62	32,246.24	30,950.94	33,503.85	40,801.02
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	1,216.85	1,194.40	1,001.19	1,016.98	1,557.44
ब्याज सहित रक्षित निधि	5,948.03	6,720.39	6,340.46	5,531.78	8,395.66
ब्याज सहित जमा	39.55	25.33	24.15	78.94	79.27
ब्याज रहित जमा	21,065.19	24,306.12	23,585.14	26,876.15	30,768.65
ग. गैर-बजटीय उधार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बकाया उधार के वृद्धि की दर (प्रतिशत)	12.68	15.65	3.94	4.38	7.73
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)	3,10,305	2,96,664	3,76,127	4,17,361	4,61,010
कुल उत्तरदायित्व /जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत)	30.42	36.23*	29.51*	28.38	27.68
उधार एवं अन्य दायित्व (वित्त लेखे के विवरण 6 के अनुसार)					
कुल प्राप्तियाँ	30,980.35	32,562.62	25,623.42	31,856.35	44,607.36
कुल अदायगी	20,356.68	17,784.23	21,325.90	26,890.62	35,447.09
ब्याज भुगतान	5,307.71	5,790.00	6,286.05	6,238.29	6,838.95
निवल निधि की उपलब्धता	5,315.96	8,988.39	(-),1,988.53	(-),1,272.56	2,321.32
अदायगी/प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	82.84	72.40	107.76	103.99	94.80

[#] बकाया ऋण में 2020-21 में ₹ 1,689.00 करोड़ और 2021-22 में ₹ 2,484.41 करोड़ शामिल हैं, जो जी.एस.टी. मुआवजे में कमी के बदले भारत सरकार द्वारा बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में प्राप्त किया गया था।

* कुल बकाया/जी.एस.डी.पी. अनुपात में जी.एस.टी. मुआवजे में कमी के बदले भारत सरकार द्वारा दिए गए बैंक-टू-बैंक ऋण शामिल नहीं हैं, क्योंकि इसे वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाना था।


बिहार और झारखण्ड के उत्तराधिकारी राज्यों के बीच समग्र बिहार राज्य की राजकोषीय देनदारियों का बंटवारा अब तक नहीं किया गया है।

उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता में 2019-20 से 2023-24 के दौरान (-) ₹ 1,988.53 करोड़ और ₹ 8,988.39 करोड़ के बीच में व्यापक उतार-चढ़ाव हुआ। यह 2022-23 में नकारात्मक 1,272.56 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में


₹ 2,321.32 करोड़ हो गया। 2023-24 के दौरान निधि की उपलब्धता में वृद्धि मुख्य रूप से भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम की तथा तथा लोक लेखा में अधिक प्राप्ति के कारण था।

2023-24 के दौरान, लोक ऋण और अन्य देनदारियों के तहत राज्य की प्राप्तियों में 2022-23 में 24.33 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 40.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सार्वजनिक ऋण और ब्याज सहित अन्य देनदारियों के भुगतान में पिछले वर्ष (19.98 प्रतिशत की वृद्धि) की तुलना में 27.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई। चूंकि लोक ऋण और अन्य देनदारियों के तहत भुगतान की तुलना में प्राप्तियों में काफी वृद्धि हुई है, इसलिए इसका शुद्ध प्रभाव राज्य के पास उधार ली गई धनराशि की अधिक उपलब्धता के रूप में सामने आया। 2023-24 के दौरान घटकवार बकाया देयता प्रवृत्तियों को चार्ट 2.13 में दिखाया गया है, जबकि चार्ट 2.14 2019-24 के दौरान लिए गए आंतरिक ऋण बनाम चुकाए गए ऋण को दर्शाता है।

चार्ट 2.13: 2023-24 के अंत में कुल बकाया दायित्वों का ब्यौरा



चार्ट 2.14: आंतरिक ऋण प्राप्ति के सापेक्ष भुगतान



2019-24 की अवधि के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण स्वरूप का विवरण तालिका 2.28 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.28: राजकोषीय घाटे के घटक और इसके वित्त पोषण स्वरूप

(₹ करोड़ में)

व्यौरा	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजकोषीय घाटा के अवयव					
1 राजस्व अधिशेष (+)/राजस्व घाटा (-)	1,960	-3,114	6,944	13,564	11,252
2 निवल पूँजीगत व्यय	-9,879	-8,466	9,377	14,016	20,570
3 निवल ऋण व अग्रिम	-116	-3,331	171	4,165	-2,986
राजकोषीय घाटा के वित्त पोषण का स्वरूप					
1 बाजार से उधार	5,656	8,900	3,746	400	-1,950
2 भारत सरकार से ऋण	252	2,390	3,012	3,372	4,785
3 एन.एस.एस.एफ. द्वारा जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	-769	-769	-770	-769	-769
4 वित्तीय संस्थानों से ऋण	222	281	-395	-588	-202
5 लघु बचत, भविष्य निधि आदि	6	-23	-193	16	540
6 जमा एवं अग्रिम	1,238	3,215	-722	3,346	3,910
7 उचंत एवं विविध	97	53	-27	295	-32
8 प्रेषण	-17	44	-14	-36	-28
9 रक्षित निधि	4,018	772	-380	-809	2,864
10 कर्णांकित कोष में निवेश	0.00	304	200	500	1,267
11 कुल घाटा	10,703	15,167	4,457	5,727	10,385
12 नकद शेष में वृद्धि/कमी	-2,668	-256	-1,853	-1,110	-4,053
13 सकल राजकोषीय घाटा	8,035	14,911	2,604	4,617	6,332
नोट: ₹ 188.37 करोड़ से राजस्व अधिशेष की अत्योक्ति और राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति हुई, जैसा कि कंडिका 1.5 में दर्शाया गया है।					

तालिका 2.28 से देखा जा सकता है कि राज्य के पास 2023-24 के दौरान ₹ 11,252 करोड़ का राजस्व अधिशेष था, जो दर्शाता है कि राजस्व व्यय और पूँजीगत व्यय का एक बड़ा हिस्सा (₹ 20,570 करोड़) राज्य की राजस्व प्राप्तियों से पूरा किया गया था। इसलिए, उधार ली गई धनराशि का उपयोग पूँजीगत परिव्यय और राज्य के संस्थानों को ऋण और अग्रिम प्रदान करने पर किया गया, जिससे ₹ 6,332 करोड़ का राजकोषीय घाटा हुआ।

2023-24 के दौरान, ₹ 6,332 करोड़ का राजकोषीय घाटा मुख्य रूप से भारत सरकार के ऋण (₹ 4,785 करोड़) तथा जमा और अग्रिम (₹ 3,910 करोड़) द्वारा वित्तपोषित किया गया था।


2.6 लोक ऋण परिपक्वता की रूपरेखा और अदायगी

लोक ऋण परिपक्वता और अदायगी की रूपरेखा, लोक ऋण अदायगी या ऋण-शोधन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को इंगित करता है।

तालिका 2.29: राज्य के ऋण अदायगी की परिपक्वता की रूपरेखा

अदायगी की अवधि (वर्ष)	राशि (₹ करोड़ में)	लोक ऋण के सापेक्ष प्रतिशतता
0-2	13,671.39	16
2-5	17,729.45	20
5-10	24,834.99	29
10 और अधिक	30,571.66	35
कुल	86,807.49	100

चार्ट 2.15: लोक ऋण परिपक्वता की रूपरेखा



जैसा कि तालिका 2.29 और चार्ट 2.15 से देखा जा सकता है, सार्वजनिक ऋणों की परिपक्वता के कारण मोचन दबाव अगले दस वर्षों में प्रति वर्ष लगभग ₹ 5,000 करोड़ से ₹ 6,000 करोड़ होगा। हालाँकि, राज्य के नए उधारों के मामले में यह बदल जाएगा।

आगे, राज्य के अगले 10 वर्षों के लिए ऋण अदायगी और ब्याज भुगतान के विश्लेषण ने वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा पूर्व के वर्षों में दिए गए गणना के आधार पर एक मिश्रित रुझान दिखाया, जैसा कि तालिका 2.30 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.30: राज्य की अगले दस वर्षों में लोक ऋण अदायगी की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अदायगी	ब्याज	कुल
2023-24	6,384	5,718	12,102
2024-25	4,616	5,972	10,588
2025-26	6,654	5,862	12,517
2026-27	6,941	5,607	12,548
2027-28	6,504	5,350	11,854
2028-29	4,318	5,145	9,463
2029-30	6,780	5,120	11,900
2030-31	4,707	4,912	9,619
2031-32	5,727	4,875	10,602
2032-33	3,989	4,765	8,754

स्रोत: वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार

जैसा कि तालिका 2.30 से देखा जा सकता है, वर्तमान ऋण देयता के अनुसार राज्य के लोक ऋण मोचन की परिपक्वता रूपरेखा 2023-24 से 2032-33 के दौरान लगभग एक समान रहेगी। वर्तमान देयता के अनुसार, अगले 10 वर्षों के दौरान मूलधन और ब्याज की कुल अदायगी ₹ 8,754 करोड़ से ₹ 12,548 करोड़ के बीच होगी। राज्य की वर्तमान वित्तीय स्थिति के मद्देनजर मूलधन और ब्याज का भुगतान संधारणीय होगा, जो आने वाले वर्षों में राज्य द्वारा नए उधार लेने की स्थिति में बदल सकता है।

2.6.1 राजकोषीय घाटा और ऋण संधारणीयता

2.6.1.1 एफ.आर.बी.एम. संकेतकों पर आधारित ऋण संधारणीयता विश्लेषण

राजकोषीय संधारणीयता के संदर्भ में, तेरहवें वित्त आयोग ने ऋण-जी.एस.डी.पी. अनुपात के संदर्भ में और राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज भुगतान के संदर्भ में ऋण संधारणीयता को परिभाषित किया। वित्त आयोग (एफ.सी.) ने केंद्र और राज्य सरकार के लिए राजकोषीय समेकन की सिफारिश की और जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे और ऋण स्टॉक के लिए सीमाएं प्रदान कीं। झारखण्ड सरकार ने अपने एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, 2007 में अपने राजकोषीय घाटे को अनुमानित जी.एस.डी.पी. के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं रखने का फैसला किया। एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के मद्देनजर, बजट के साथ प्रस्तुत एम.टी.एफ.पी. विवरण में हर साल जी.एस.डी.पी. प्रतिशत में ऋण स्टॉक के लक्ष्य दिए गए थे।

एफ.एफ.सी. लक्ष्यों और एफ.आर.बी.एम. लक्ष्यों के संबंध में ऋण स्टॉक की स्थिति तालिका 2.31 में दर्शाई गई थी।

तालिका 2.31: ऋण संधारणीयता - एफ.आर.बी.एम. सूचक आधारित विश्लेषण

वर्ष	जी.एस.डी.पी. से राजकोषीय घाटा (प्रतिशत में)		जी.एस.डी.पी. से बकाया देनदारियाँ (प्रतिशत में)		राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान (प्रतिशत में)	
	एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के तहत तैयार एम.टी.एफ.पी. लक्ष्य	वास्तविक	एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के तहत तैयार एम.टी.एफ.पी. लक्ष्य	वास्तविक	एफ.सी.सी. लक्ष्य	वास्तविक
2019-20	3.00	2.59	27.10	30.42	8.08	9.09
2020-21	5.00*	5.03	27.00	36.23 [#]	-	10.31
2021-22	4.00*	0.69	33.00	29.51 [#]	-	9.02
2022-23	3.50	1.11	33.15	28.38	-	7.77
2023-24	3.00	1.37	30.60	27.68	-	7.78

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, एम.टी.एफ.पी. एवं एफ.सी. प्रतिवेदन

नोट: जैसा कि कंडिका 1.5 में वर्णित है, राजकोषीय घाटा ₹ 188.37 करोड़ से कम बताया गया है।

[#] इसमें 2020-21 में ₹ 1,689.00 करोड़ और 2021-22 में ₹ 2,484.41 करोड़ शामिल नहीं हैं, जो जी.एस.टी. मुआवजे में कमी के बदले भारत सरकार द्वारा बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में प्राप्त किए गए थे।

* एफ.आर.बी.एम. (संशोधन) अधिनियम, 2020 के कंडिका 2(1) के आलोक में, राजकोषीय घाटा लक्ष्य 2020-21 तथा 2021-22 के लिए क्रमशः 2 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत से बढ़ गया था।

तालिका 2.31 से देखा जा सकता है कि 2023-24 के दौरान राज्य सरकार राजकोषीय घाटे को निर्धारित लक्ष्यों के भीतर बनाए रखने में सक्षम रही। ऋण से जी.एस.डी.पी. अनुपात 2021-22 से 2023-24 में लक्ष्य के भीतर था। पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान के अनुपात (ब्याज भुगतान का भार) के लिए लक्ष्य प्रदान नहीं किया गया था। 2023-24 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान का अनुपात 7.78 प्रतिशत था।

2.6.1.2 ऋण संधारणीयता संकेतक

ऋण संधारणीयता विश्लेषण राजकोषीय और ऋण मापदंडों और डोमार दृष्टिकोण के आधार पर किया गया है। विश्लेषण के परिणाम निम्नलिखित कंडिकाओं में दिए गए हैं:

(क) ऋण संधारणीयता का तात्पर्य राज्य की वर्तमान और भविष्य में अपने ऋण दायित्व को पूरा करने की क्षमता से है। ऋण संधारणीयता संकेतकों में भिन्नता का विश्लेषण तालिका 2.32 और चार्ट 2.16 में दिए गए हैं।

तालिका 2.32: ऋण संधारणीयता संकेतकों में रुझान

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	ऋण संधारणीयता संकेतक	Y1 (2019-20)	Y2 (2020-21)	Y3 (2021-22)	Y4 (2022-23)	Y5 (2023-24)
1	समग्र देयताएं या समग्र ऋण	94,406.60	107,495.99	110,998.06	118,448.22	127,608.51
2	समग्र ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	12.68	13.86	3.26	6.71	7.73
3	जीएसडीपी (नोमिनल संदर्भ में)	310,305.36	296,664.00	376,126.69	417,361.14	461,010.45
4	सांकेतिक जी.एस.डी.पी. वृद्धि (प्रतिशत)	1.51	-4.40	26.79	10.96	10.46
5	समग्र ऋण/जीएसडीपी (प्रतिशत में)	30.42	36.23	29.51	28.38	27.68
6	लोक ऋण के परिपक्वता की रूपरेखा	66,136.99	76,938.74	82,531.54	84,944.38	86,807.49
6क	0-2 वर्ष	4,293.99	8,007.24	9,835.50	11,270.52	13,671.39
6ख	2-5 वर्ष	16,222.16	18,020.08	19,960.88	17,762.84	17,729.45
6ग	5-10 वर्ष	27,549.96	26,098.33	23,257.64	27,624.62	24,834.99
6घ	10 वर्ष से अधिक	18,070.88	24,813.09	29,477.52	28,286.40	30,571.66
7	सकल उधारी की अदायगी (प्रतिशत में)	82.84	72.40	107.76	103.99	96.07
8	सकल उधार के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध निवल उधार	17.16	27.60	-7.76	-3.99	3.93
9	समग्र ऋण पर ब्याज भुगतान	5,307.71	5,790.48	6,286.05	6,238.29	6,838.95
10	समग्र ऋण पर प्रभावी ब्याज दर (प्रतिशत में)	7.73	7.41	7.35	7.06	7.56
11	राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान (प्रतिशत में)	9.09	10.31	9.02	7.77	7.78
12	राजस्व घाटा/अधिशेष	1,960.51	-3,113.86	6,943.94	13,563.59	11,252.08
13	प्राथमिक राजस्व शेष (पी.आर.बी.)	7,268.22	2,676.62	13,229.99	19,801.88	18,091.03
14	प्राथमिक शेष (पी.बी.)	-2,726.87	-9,119.52	3,682.05	1,621.29	507.19
15	पी.बी./जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत)	-0.88	-3.07	0.98	0.39	0.11
16	समग्र ऋण पर ब्याज दर और प्रभावी ब्याज दर के बीच का अंतर	-7.55	-7.31	-7.20	-6.79	-7.50

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. स.	ऋण संधारणीयता संकेतक	Y1 (2019-20)	Y2 (2020-21)	Y3 (2021-22)	Y4 (2022-23)	Y5 (2023-24)
17	तरलता प्रबंधन (आर.बी.आई. के पास उपलब्ध वित्तीय समायोजन उपकरणों का उपयोग) (कई अवसरों पर)	16	शून्य	16	शून्य	शून्य
18	ऋण स्थिरीकरण (क्वांटम स्प्रेड + प्राथमिक शेष)	-7,292.46	-18,909.64	20,818.82	5,081.44	3,179.01
19	डोमार मानदंड					
क.	जी.एस.डी.पी. (स्थिर रूप से)	231,755.39	219,483.31	245,855.59	265,121.43	285,070.00
ख.	वास्तविक वृद्धि (स्थिर रूप से)	1.08	-5.30	12.02	7.84	7.52
ग.	सी.पी.आई. आधारित मुद्रास्फीति (प्रतिशत में)	4.14	5.32	4.51	6.14	5.73
घ.	प्रभावी ब्याज दर	7.73	7.41	7.35	7.06	7.56
ड.	वास्तविक प्रभावी ब्याज दर (प्रभावी ब्याज दर-मुद्रास्फीति)	3.59	2.09	2.84	0.92	1.83
च.	वृद्धि ब्याज अंतर (वास्तविक वृद्धि-वास्तविक प्रभावी ब्याज दर)	-2.51	-7.39	9.18	6.92	5.69

स्रोत: वित्त लेखे

समय देयताओं या समय ऋण में लोक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम सहित) और सार्वजनिक खाता देयता (ब्याज और गैर-ब्याज वाले रक्षित निधि और जमा सहित) सहित अन्य देनदारियां शामिल हैं। 2020-21 और 2021-22 के दौरान, इसमें जीएसटी मुआवजे में कमी के बदले में भारत सरकार से बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में क्रमशः ₹ 1,689 करोड़ और ₹ 2,484.41 करोड़ शामिल नहीं हैं, जिन्हें राज्य द्वारा चुकाया नहीं जाना है।

पी.आर.बी.: राजस्व प्राप्तियां-राजस्व व्यय (निवल ब्याज भुगतान), जहाँ (-) पी.आर.बी. का अर्थ प्राथमिक घाटा और इसके विपरीत है।

पी.बी.: कुल प्राप्तियां (निवल ऋण) - कुल व्यय (निवल ब्याज भुगतान), जहाँ (-) पी.बी. का अर्थ प्राथमिक घाटा और इसके विपरीत है।

प्रभावी ब्याज दर: {ब्याज भुगतान/[(पिछले और चालू वित्तीय वर्ष का औसत बकाया ऋण (ब्याज रहित दायित्वों को छोड़कर)]}

तरलता प्रबंधन: विशेष आहरण सुविधा, अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के तहत प्राप्त राशि

क्वांटम स्प्रेड: ब्याज स्प्रेड*ऋण

आर.ओ.आई.: निवेश पर प्रतिफल

गिरते हुए ऋण-जी.एस.डी.पी. अनुपात को स्थिरता की ओर अग्रसर माना जा सकता है। साथ ही, ऋण स्थिरीकरण की स्थिति बताती है कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ क्वांटम प्रसार शून्य है, तो ऋण-जी.एस.डी.पी. अनुपात स्थिर रहेगा या ऋण अंततः स्थिर हो जाएगा। दूसरी ओर, यदि प्राथमिक घाटा क्वांटम प्रसार के साथ नकारात्मक हो जाता है, तो ऋण-जी.एस.डी.पी. अनुपात बढ़ जाएगा और यदि यह सकारात्मक है, तो ऋण-जी.एस.डी.पी. अनुपात अंततः गिर जाएगा। तालिका 2.32 से यह देखा जा सकता है कि:

- 2019-2024 के दौरान कुल देयता से जीएसडीपी अनुपात द्वारा मापा गया राज्य का ऋण भार 27.68 प्रतिशत से 36.23 प्रतिशत के बीच रहा। इसमें लगातार वृद्धि देखी गई और यह 2018-19 में 27.40 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 30.42 प्रतिशत और 2020-21 में 36.23 प्रतिशत हो गया। महामारी से उबरने के परिणामस्वरूप, राज्य के राजकोषीय स्वास्थ्य में सुधार होने लगा, जिससे महामारी के बाद के वर्षों में राज्य के ऋण बोझ में लगातार सुधार हुआ। दो साल के राजकोषीय तनाव के बाद, राज्य के

वित्त में सुधार के संकेत दिखे, जिससे उधार आवश्यकताओं में कमी आई, जैसा कि राजकोषीय घाटा-जीएसडीपी अनुपात में उल्लेखनीय कमी से स्पष्ट है। राज्य का राजकोषीय घाटा-जीएसडीपी अनुपात पांच साल के उच्चतम स्तर 2020-21 में 5.03 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 0.69 प्रतिशत के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया और 2021-2024 के दौरान महामारी-पूर्व स्तर से नीचे रहा। राज्य का ऋण भार जो 2019-20 में 30.42 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 36.23 प्रतिशत हो गया था, 2021-22 से कम होता रहा और 2023-24 में पांच साल के निचले स्तर 27.68 प्रतिशत पर पहुंच गया। 2021-22 से समग्र देयता-जीएसडीपी अनुपात में गिरावट को मुख्य रूप से पिछले तीन वर्षों में राज्य द्वारा बनाए गए लगातार सकारात्मक प्राथमिक संतुलन के फलस्वरूप माना जा सकता है। सामान्य वृद्धि के विपरीत, प्रभावी ब्याज दर काफी हद तक मुद्रास्फीति से प्रेरित थी जो कि आरबीआई द्वारा निर्धारित महामारी के बाद की अवधि (2021-24) में ऊपरी सहनशीलता बैंडविड्थ (4-6 प्रतिशत) के आस-पास रही थी, जो दर्शाता है कि मुद्रास्फीति ने राज्य को वास्तविक ब्याज दर को कम रखने में मदद की ताकि वास्तविक रूप से वृद्धि ब्याज अंतर (जीआईडी) को अनुकूल रखा जा सके।

- राज्य के ऋण भार में परिवर्तन पर जीआईडी और प्राथमिक शेष के योगदान को विघटित करने से पता चलता है कि प्रतिकूल जीआईडी और नकारात्मक प्राथमिक शेष दोनों ने 2019-20 और 2020-21 में समग्र देयता-जीएसडीपी अनुपात में वृद्धि में योगदान दिया। गिरावट की प्रवृत्ति के बावजूद, जीआईडी और प्राथमिक शेष दोनों, जो 2020-21 तक नकारात्मक क्षेत्र में थे, अनुकूल हो गए, जिससे 2021-22 से समग्र देयता-जीएसडीपी अनुपात में लगातार गिरावट आई।
- डोमर मानदंड दर्शाते हैं कि 2019-20 और 2020-21 में उधार लेने की लागत को कवर करने के लिए विकास पर्याप्त मजबूत नहीं था, जिससे इन वर्षों में जीआईडी प्रतिकूल हो गई। हालांकि, आर्थिक सुधार के संकेतों के बाद, राज्य ने आधार प्रभाव के कारण 2021-22 में 12.02 प्रतिशत की पांच साल की उच्च वास्तविक वृद्धि देखी, जबकि 2.84 प्रतिशत की वास्तविक ब्याज दर 2022-23 और 2023-24 में वास्तविक ब्याज दर से ऊपर रही।
- महामारी वर्ष 2020-21 को छोड़ दिया जाए तो राज्य का ऋण भार समग्र देयता-जीएसडीपी अनुपात के आधार पर मापा गया, जो राज्य के एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों के भीतर रहा। राज्य ने 2019-24 के दौरान वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सांकेतिक ऋण पथ के भीतर अपने ऋण भार को बनाए रखने में भी कामयाबी हासिल की।

(ख) ई. डी. डोमार [डोमार, 1944] के एक अध्ययन के आधार पर ऋण संधारणीयता पर एक विश्लेषण किया गया था। डोमार मॉडल बताता है कि लोक ऋणग्रस्तता की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आधार यह है कि सरकारी ऋण की ब्याज दरें सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

राजकोषीय देनदारियों को संधारणीय माना जाता है यदि सरकार निकट भविष्य में इन देनदारियों के स्टॉक को चुकाने में सक्षम है और ऋण जीएसडीपी अनुपात अनियंत्रित स्तर तक नहीं बढ़ता है। डोमार मॉडल लोक ऋण के विश्लेषण के लिए मॉडलों में से एक है, जो यह निर्धारित करता है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर ऋण पर ब्याज दर से अधिक है तो ऋण-जीडीपी अनुपात स्थिर रहने की संभावना है। तालिका 2.33 डोमार संधारणीयता की स्थिति दर्शाती है:

तालिका 2.33: डोमार मॉडल के तहत ऋण संधारणीयता मानदंड

जी-आर (जी: वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर; आर: वास्तविक ब्याज दर), डोमार गैप कहा जाता है	एस<0 (प्राथमिक घाटा)	एस>0 (प्राथमिक अधिशेष)
जी-आर > 0 (मजबूत आर्थिक विकास)	जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को शून्य से अधिक स्थिर स्तर पर रहना चाहिए	जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को शून्य से कम स्थिर स्तर पर लाना चाहिए जिससे लोक बचत हो।
जी-आर < 0 (धीमी आर्थिक वृद्धि)	जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को स्थिर स्तर पर लाए बिना अनिश्चित काल तक बढ़ना चाहिए।	अनिर्धारित स्थिति

डोमार विश्लेषण को झारखण्ड के सन्दर्भ में लागू करने से पता चला कि राजकोषीय दायित्वों को स्थिर स्तर पर रहना चाहिए, जैसा कि तालिका 2.34 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.34: 2019-24 के दौरान राज्य के ऋण स्टॉक की संधारणीयता

वर्ष	वास्तविक आर्थिक वृद्धि (जी)	वास्तविक ब्याज दर (आर)	डोमार गैप (जी-आर)	प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष (+)	अभ्युक्ति
	(प्रतिशत में)			(₹ प्रतिशत में)	
2019-20	1.08	3.59	-2.51	(-) 2,727	जैसा कि जी-आर<0 और एस <0; जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को स्थिर स्तर पर लाए बिना अनिश्चित काल तक बढ़ना चाहिए।
2020-21	-5.30	2.08	-7.38	(-) 9,120	
2021-22	12.02	2.82	9.20	3,682	जैसाकि जी-आर >0 और एस >0; जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को शून्य से कम स्थिर स्तर पर लाना चाहिए जिससे लोक बचत हो।
2022-23	7.84	0.79	7.05	1,621	
2023-24	7.52	1.53	5.99	507	

वर्ष	वास्तविक आर्थिक वृद्धि (जी)	वास्तविक ब्याज दर (आर)	डोमार गैप (जी-आर)	प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष (+)	अभ्युक्ति
	(प्रतिशत में)			(₹ प्रतिशत में)	
वास्तविक आर्थिक विकास दर की गणना वास्तविक जी.एस.डी.पी. (अर्थात् स्थिर कीमतों पर) के लिए की गई है। वास्तविक ब्याज दर की गणना राजकोषीय दायित्वों पर मुद्रास्फीति घटाकर औसत ब्याज दर के रूप में की जाती है। औसत मुद्रास्फीति सी.एस.ओ., सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से प्राप्त की गई है।					

जैसा कि तालिका 2.34 में दर्शाया गया है, 2019-20 से 2020-21 की अवधि के दौरान राज्य में प्राथमिक घाटा था, और इस अवधि के दौरान डोमार गैप नकारात्मक था जो धीमी आर्थिक प्रगति का संकेत था। 2021-22 से 2023-24 के दौरान, प्राथमिक अधिशेष के साथ डोमार गैप सकारात्मक था जो लोक बचत के लिए स्थिर आर्थिक स्थितियों का संकेत देता है। नवीनतम जीएसडीपी श्रृंखला के अनुसार, 2021-22 के दौरान, वास्तविक आर्थिक विकास उच्चतम (12.02 प्रतिशत) रहा, जिसका कारण 2020-21 (कोविड वर्ष) का निम्न आधार था, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण सकारात्मक डोमार गैप (9.20 प्रतिशत) हुआ।

2.6.2 उधार निधि की उपयोगिता

उधार ली गई निधि का उपयोग आदर्श रूप से पूँजी निर्माण और विकासात्मक गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। उधार ली गई निधि का उपयोग वर्तमान खपत को पूरा करने और बकाया ऋणों पर ब्याज की अदायगी के लिए संधारणीय नहीं है। उधार निधि की उपयोगिता तालिका 2.35 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.35: उधार निधियों की उपयोगिता

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	कुल उधार	9,593.12	13,546.58	9,839.87	9,142.30	8,247.13
2	पूर्व उधार की अदायगी (मूलधन)	4,231.40	2,744.82	4,247.08	6,729.46	6,384.02
3	निवल पूँजीगत व्यय	9,878.71	8,465.66	9,376.90	14,015.59	20,569.69
4	निवल ऋण व अग्रिम	116.24	3,330.99	17.25	4,164.73	-2,985.85
5	निवल उपलब्ध उधार से प्राप्त राजस्व व्यय का हिस्सा (1-2-3-4)	-4,633.23	-994.89	-3,801.36	-15,767.48	-15,720.73
6	लोक ऋण पर ब्याज भुगतान	5,066.29	5,312.44	5,805.62	5,813.08	5,718.27

स्रोत: वित्त लेखे

राज्य ने 2023-24 के दौरान पहले के उधारों के विरुद्ध ₹ 6,384.02 करोड़ का पुनर्भुगतान किया, जिसकी पूर्ति वर्ष के दौरान राजस्व अधिशेष से की गई, जिससे पूँजीगत व्यय और राज्य द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिमों के लिए उधार ली गई धनराशि की अधिक उपलब्धता हुई। लोक ऋण द्वारा कवर नहीं किए गए पूँजीगत व्यय के हिस्से को सार्वजनिक खाता शेष से पूरा किया गया।

2.6.3 प्रत्याभूतियों की स्थिति (आकस्मिक देयताएँ)

भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि कोई राज्य, भारत के क्षेत्र में अपनी समेकित निधि की प्रतिभूति पर, ऐसी सीमाओं के भीतर, उधार ले सकता है, जो समय-समय पर उसके विधानमंडल के अधिनियम द्वारा निर्धारित की जाएं तथा ऐसी सीमाओं के भीतर प्रत्याभूति दे सकता है, जो निर्धारित की जाएं। प्रत्याभूति देनदारियाँ हैं जो लेनदार द्वारा चूक की स्थिति में जिसके लिए प्रत्याभूति दी गई है, राज्य की समेकित निधि पर निर्भर करती हैं।

झारखण्ड सरकार ने इस संबंध में न तो प्रत्याभूति मोचन निधि गठित की और न ही कोई नीति बनाई है। हालाँकि, वित्त विभाग के द्वारा प्रदान की गयी सूचना के अनुसार, 2023-24 तक ऊर्जा कंपनियों को ₹ 2,378.23 करोड़ और झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति निगम को ₹ 2,463 करोड़ की प्रत्याभूति दी गई है।

सरकार ने झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जे.एस.ई.बी.) के पक्ष में फरवरी 2013 में ₹ 157.15 करोड़ राशि का लेटर ऑफ कम्फर्ट (एल.ओ.सी.) दिया था, जो जनवरी 2014 में जे.एस.ई.बी. के विखंडित होने के बाद भी सरकार के लेखाओं में समायोजन हेतु अभी तक लंबित था। तालिका 2.36 राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ दर्शाता है।

तालिका 2.36: राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

प्रत्याभूति	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
ब्याज सहित प्रत्याभूति की बकाया राशि	607.15	607.15	607.15	4,998.38	4,998.38

स्रोत: वित्त लेखे

2.7 नकद शेष का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के साथ हुए समझौते के अनुसार, राज्य सरकारों को बैंक के पास न्यूनतम दैनिक नकद शेष बनाए रखना होता है। यदि किसी दिन शेष राशि सहमत न्यूनतम राशि से कम हो जाती है, तो समय-समय पर साधारण अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यू.एम.ए.)/विशेष अर्थोपाय अग्रिम (एस.डब्ल्यू.एम.ए.)/ओवरड्राफ्ट (ओ.डी.) लेकर कमी को पूरा किया जाता है। राज्य सरकार के साधारण अर्थोपाय अग्रिम की सीमा को आर.बी.आई. द्वारा समय-समय पर संशोधित किया गया (17 अप्रैल 2020 से ₹ 1,152 करोड़, जो बाद में घटकर 31 मार्च 2022 से ₹ 1,067 करोड़ हो गई)। 2023-24 के दौरान सीमा अपरिवर्तित रही।

वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार द्वारा कोई भी अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट नहीं लिया गया।

राज्य सरकार, भारत की अल्पकालीन और दीर्घकालीन सरकारी प्रतिभूतियों और कोषागार विपत्रों में अपने नकद अधिशेष का निवेश करती है। इस तरह के निवेशों

से प्राप्त लाभ को शीर्ष '0049-ब्याज प्राप्तियाँ' के तहत प्राप्तियों के रूप में जमा किया जाता है।

तालिका 2.37 वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान सामान्य नकदी शेष और उसके निवेश का तुलनात्मक विवरण दर्शाती है तथा **तालिका 2.38** वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान नकदी शेष निवेश खाते (मुख्य शीर्ष-8673) की स्थिति दर्शाती है।

तालिका 2.37: नकद शेष और इसका निवेश

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2023 को प्रारंभिक शेष	31 मार्च 2024 को अन्त शेष
क. सामान्य नकद शेष		
कोषागार में नकद	0	0
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा	91.07	-86.66
अन्य बैंक में जमा	0	0
प्रेषण-संचरण-स्थानीय	0	0
उप-योग	91.07	-86.66
नकद शेष निवेश लेखा में रखे गए निवेश	5,149.41	8,114.26
कुल (क)	5,240.48	8,027.60
ख. अन्य नकद शेष एवं निवेश		
विभागीय अधिकारियों के पास नकद यथा लोक निर्माण, वन अधिकारी	38.17	36.90
आकस्मिक व्यय हेतु विभागीय अधिकारियों को स्थायी अग्रिम	0.16	0.16
कर्णाकित निधि में निवेश	1,403.87	2,670.95
कुल (ख)	1,442.20	2,708.01
कुल (क + ख)	6,682.68	10,735.61
ब्याज प्राप्ति	91.14	97.12

स्रोत: वित्त लेखे

31 मार्च 2024 तक नकद शेष निवेश खाते में शेष राशि ₹ 8,114.26 करोड़ थी तथा 2023-24 के दौरान निवेश पर प्राप्त ब्याज ₹ 97.12 करोड़ था। 2023-24 के दौरान राज्य के नकद शेष निवेश में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई।

राज्य सरकार ने 2012-13 में एसडीआरएफ के कर्णाकित निधि से ₹ 400 करोड़ का निवेश किया था। वित्तीय वर्ष 2012-13 के बाद एसडीआरएफ से कोई राशि निवेश नहीं की गई, जिससे कोष में ₹ 2,786.36 करोड़ की शेष राशि बची, जिस पर राज्य सरकार एसडीआरएफ दिशानिर्देशों के अनुसार ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। राज्य ने 31 मार्च 2024 तक हास निधि में ₹ 1,570.87 करोड़ हस्तांतरित किए और पूरी राशि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में निवेश की, जिसमें से ₹ 567.00 करोड़ का हस्तांतरित एवं निवेश 2023-24 में किए गए। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पेंशन मोचन निधि से ₹ 700.08 करोड़ का निवेश भी किया है।

तालिका 2.38: नकद शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष-8673)


(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	अंत शेष	वृद्धि (+)/ कमी (-)	अर्जित ब्याज
2019-20	167.90	3,070.62	2,902.72	147.42
2020-21	3,070.62	2,811.20	(-)259.42	58.59
2021-22	2,811.20	4,480.63	1,669.43	60.21
2022-23	4,480.63	5,149.41	668.78	91.14
2023-24	5,149.41	8,114.26	2,964.85	97.12

31 मार्च 2024 तक खातों में दर्शाए गए आंकड़ों {₹ 86.66 करोड़ (क्रेडिट)} और आरबीआई द्वारा सूचित किए गए आंकड़ों {₹ 46.16 करोड़ (डेबिट)} के बीच ₹ 40.50 करोड़ (निवल क्रेडिट) का अंतर था। इस अंतर को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड द्वारा आरबीआई, राँची के साथ मिलान और आवश्यक सुधार के लिए उठाया गया है।

चार्ट 2.16 पिछले पाँच वर्षों के दौरान बाजार ऋणों (निवल) और नकद शेष के तुलनात्मक रुझान को दर्शाता है।

चार्ट 2.16: बाजार ऋण (निवल) एवं नकद शेष की प्रवृत्ति



वर्ष 2023-24 के दौरान, पहले के उधारों की अदायगी (₹ 2,950 करोड़) की तुलना में बाजार ऋण के रूप में उधारी न्यूनतम (₹ 1,000 करोड़) थी, इस प्रकार, शुद्ध बाजार ऋण ऋणात्मक (₹ 1,950 करोड़) थे, जो उस सीमा तक ऋण में कमी को दर्शाता है। राज्य का नकद शेष भी वर्ष 2022-23 में ₹ 6,682.68 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में ₹ 10,734.61 करोड़ हो गया।

2.8 निष्कर्ष

राज्य ने झारखण्ड एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में दी गई समय सीमा से काफी पहले ही अपने राजस्व घाटे को शून्य करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। 2020-21 को छोड़कर, पिछले पाँच वर्षों के दौरान राज्य के पास राजस्व अधिशेष था। 2020-21 को छोड़कर जब राजकोषीय घाटा लक्ष्य से थोड़ा अधिक था, 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान राज्य का राजकोषीय घाटा लक्ष्य के भीतर था।

2023-24 के दौरान, राज्य का राजस्व व्यय, कुल व्यय का 75.52 प्रतिशत था। 2022-23 में ₹ 14,016 करोड़ के मुकाबले, 2023-24 के दौरान पूँजीगत व्यय ₹ 20,570 करोड़ था।

राज्य के कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर व्यय का हिस्सा वित्तीय वर्ष 2022-23 में 39 प्रतिशत से घटकर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 35 प्रतिशत हो गया, जबकि आर्थिक सेवाओं का हिस्सा इन वर्षों के दौरान क्रमशः 33 प्रतिशत से बढ़कर 39 प्रतिशत हो गया। सामान्य सेवाओं का हिस्सा पिछले वर्षों की तुलना में 2022-23 और 2023-24 में दो प्रतिशत अंक प्रत्येक वर्ष में कम हुआ।

31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले राज्य के वित्त लेखों के अनुसार, सरकार ने नवंबर 2000 में राज्य की स्थापना के बाद से ₹ 4,142.64 करोड़ (सरकारी कंपनियों, ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों तथा संस्थाओं में) का निवेश किया है। अपने निवेश पर कोई रिटर्न न मिलने के बावजूद, राज्य सरकार ने 2023-24 के दौरान इक्विटी के रूप में ग्रामीण बैंक, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सहकारी समितियों में ₹ 1,659.28 करोड़ का निवेश किया।

राज्य की कुल देनदारियाँ 2022-23 में ₹ 1,18,448 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 1,27,609 करोड़ हो गईं। जी.एस.डी.पी. से राजकोषीय देयताओं का अनुपात एम.टी.एफ.पी. लक्ष्य 30.60 प्रतिशत के विरुद्ध 27.68 प्रतिशत थी। बिहार और झारखण्ड के बीच संयुक्त बिहार राज्य की राजकोषीय देयताओं का बंटवारा अब तक नहीं किया गया है।

सरकार ने ब्याज के रूप में ₹ 703.70 करोड़ एसडीआरएफ को हस्तांतरित कर दिए हैं, जिससे ₹ 394.96 करोड़ की शेष राशि बची है, जिसमें 2023-24 के लिए ₹ 94.46 करोड़ शामिल हैं। ब्याज का भुगतान न करने से राज्य के राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटा प्रभावित हुआ है।

सरकार ने वर्ष के दौरान हास निधि में ₹ 567 करोड़ हस्तांतरित किए। सरकारी विभागों ने एकत्रित उपकर को संबंधित बोर्डों को हस्तांतरित नहीं किया।

2.9 अनुशंसाएँ

- राज्य सरकार को विभिन्न संस्थाओं में अपने निवेश को युक्तिसंगत बनाना चाहिए, ताकि निवेश और ऋण पर रिटर्न सरकारी उधार लागत के अनुरूप हो।
- राज्य सरकार श्रम उपकर का पूरा हस्तांतरण यथाशीघ्र श्रम कल्याण बोर्ड को सुनिश्चित करे, ताकि बोर्ड भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों की कार्य स्थितियों में सुधार लाने तथा उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके।

